

अध्याय-2

राज्य के वित्त

अध्याय 2: राज्य के वित्त

2.1 प्रमुख राजकोषीय संचय में मुख्य परिवर्तन

पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय संचय में मुख्य परिवर्तन **तालिका 2.1** में दिए गए हैं।

तालिका 2.1: 2022-23 की तुलना में 2023-24 में प्रमुख राजकोषीय संचय में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 13.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ राज्य की स्व-कर प्राप्तियों में 15.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ स्व गैर-कर प्राप्तियों में 7.31 प्रतिशत की कमी आई ✓ केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 18.95 प्रतिशत बढ़ गया ✓ भारत सरकार से सहायता अनुदान में 17.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई
राजस्व व्यय	✓ राजस्व व्यय में 6.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 7.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 0.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 16.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई
पूंजीगत प्राप्तियां	✓ ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 10.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 33.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई
पूंजीगत व्यय	✓ पूंजीगत व्यय में 36.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 15.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 18.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 47.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई
ऋण एवं अग्रिम	✓ ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 64.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 26.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक ऋण	✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 10.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ लोक ऋण की अदायगी में 11.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक लेखा	✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 11.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ लोक लेखा संवितरण में 9.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई
नकद शेष	✓ पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,604.47 करोड़ (41.85 प्रतिशत) की वृद्धि हुई

2.2 निधियों के स्रोत एवं उपयोग

पिछले वर्ष (2022-23) की तुलना में चालू वर्ष (2023-24) के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का सार **तालिका 2.2** में दिया गया है

तालिका 2.2: 2022-23 और 2023-24 के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग के विवरण

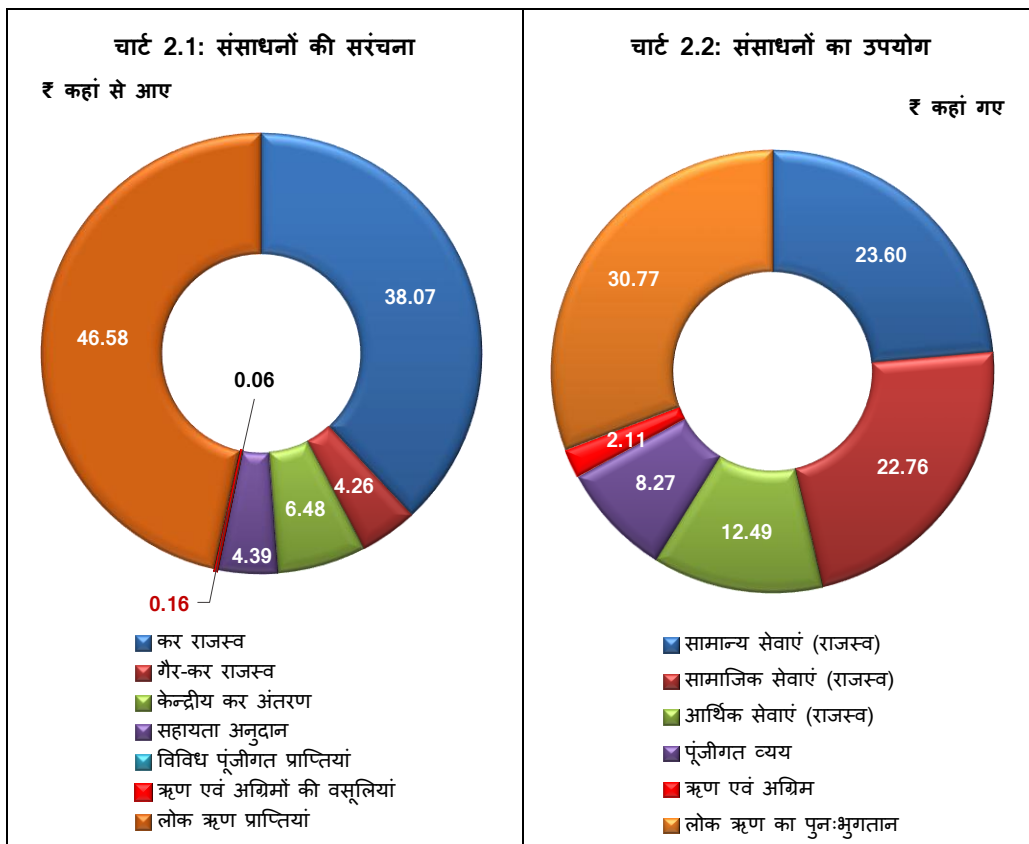
(₹ करोड़ में)

	विवरण	2022-23	2023-24	वृद्धि/कमी (प्रतिशतता)
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रारंभिक नकद शेष	4,946.11	3,833.55	(-) 1,112.56 (22.49)
	राजस्व प्राप्तियां	89,194.69	1,01,314.84	12,120.15 (13.59)
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	237.75	301.15	63.40 (26.67)
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	73.91	114.83	40.92 (55.36)
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	27,628.01	29,526.62	1,898.61 (6.87)
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	2,286.33	4,064.84	1,778.51 (77.79)
	कुल	1,24,366.80	1,39,155.83	14,789.03 (11.89)
उपयोग	राजस्व व्यय	1,06,406.21	1,13,195.70	6,789.49 (6.38)
	पूंजीगत व्यय	11,664.95	15,920.94	4,255.99 (36.49)
	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	2,462.07	4,055.22	1,593.15 (64.71)
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास अंतिम नकद शेष	3,833.55	5,438.02	1,604.47 (41.85)
	आकस्मिक निधि	0.00	545.95	545.95 (100.00)
	कुल	1,24,366.78¹	1,39,155.83	14,789.05 (11.89)

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

परिशिष्ट 2.1 में गत वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों और समग्र राजकोषीय स्थिति के विवरण दिए गए हैं।

2023-24 के दौरान राज्य की समेकित निधि में निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग का विवरण चार्ट 2.1 और चार्ट 2.2 में दिया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

¹ पूर्णांकन के कारण ₹ 0.02 करोड़ का अंतर है।

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का वर्णन नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व (स्व-कर राजस्व और संधीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश), गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल हैं।
2. **पूंजीगत प्राप्तियों** (ऋण और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों) में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा हैं।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** कुछ लेनदेन जैसे लघु बचतें, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमा, उंचंत, प्रेषण आदि के संबंध में प्राप्तियां एवं संवितरण हैं, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते। यहां, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियां

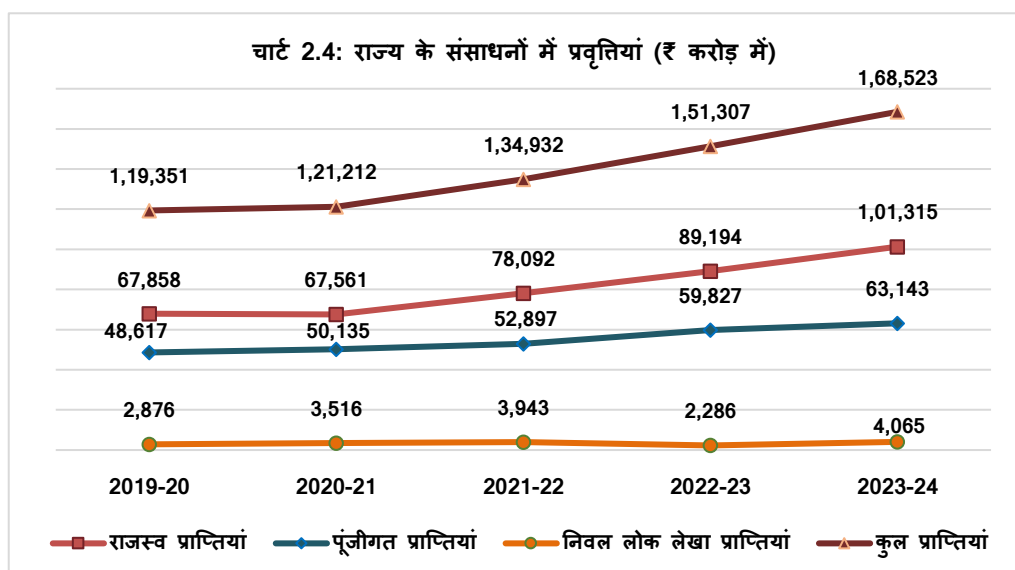
यह पैराग्राफ समग्र प्राप्तियों की संरचना प्रदान करता है। राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के अलावा, राज्य के घाटे को पूरा करने के लिए निवल लोक लेखा प्राप्तियों का भी उपयोग किया जाता है। 2023-24 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना को **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है जबकि 2019-24 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियां **चार्ट 2.4** में दी गई हैं।

चार्ट 2.3: 2023-24 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना



स्रोत: वित्त लेखे

- निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 4,065 करोड़) = लोक लेखा प्राप्तियों (₹ 78,102 करोड़) में से लोक लेखा संवितरण (₹ 74,037 करोड़) के बाद।
- पूर्णांकन के कारण घटक-वार कुल और राजस्व प्राप्तियों के कुल आंकड़े में अंतर है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सरकार की कुल प्राप्तियां 2019-20 की तुलना में 2023-24 में ₹ 49,172 करोड़ (41.20 प्रतिशत) बढ़ गई। राजस्व प्राप्तियां ₹ 33,457 करोड़ (49.30 प्रतिशत) बढ़ गई, पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 14,526 करोड़ (29.88 प्रतिशत) बढ़ गई, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल हैं, और इसी अवधि के दौरान निवल लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 1,189 करोड़ (41.34 प्रतिशत) बढ़ गई।

2.3.2 राजस्व प्राप्तियां

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं वृद्धि

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व उत्पादकता के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं वृद्धि तालिका 2.3 में दी गई है और चार्ट 2.5 एवं चार्ट 2.6 में भी दर्शाई गई है। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संरचना को परिशिष्ट 2.2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

मानक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.)	67,858	67,561	78,092	89,194	1,01,315
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	2.99	(-) 0.44	15.59	14.22	13.59
कर राजस्व	49,936	48,352	63,099	73,339	84,856
स्व-कर राजस्व	42,825	41,914	53,377	62,961	72,511
संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	7,111	6,438	9,722	10,378	12,345
कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 1.77	(-) 3.17	30.50	16.23	15.70
गैर-कर राजस्व	7,400	6,961	7,394	8,742	8,103
भारत सरकार से सहायता अनुदान	10,522	12,248	7,599	7,113	8,356
सहायता अनुदान की वृद्धि दर	48.76	16.40	(-) 37.96	(-) 6.40	17.48
स्व-राजस्व (स्व-कर एवं गैर-कर राजस्व)	50,225	48,875	60,771	71,703	80,614
स्व-राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 0.66	(-) 2.69	24.34	17.99	12.43
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 सीरीज)	7,38,052	7,29,079	8,68,905	9,84,055	10,95,535

मानक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.60	(-) 1.22	19.18	13.25	11.33
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	9.19	9.27	8.99	9.06	9.25
उत्पलावकता अनुपात²					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व उत्पलावकता	0.54	--*	0.81	1.07	1.20
राजस्व प्राप्तियों के संबंध में राज्य की अपनी कर राजस्व उत्पलावकता	--*	--*	1.96	1.14	1.16

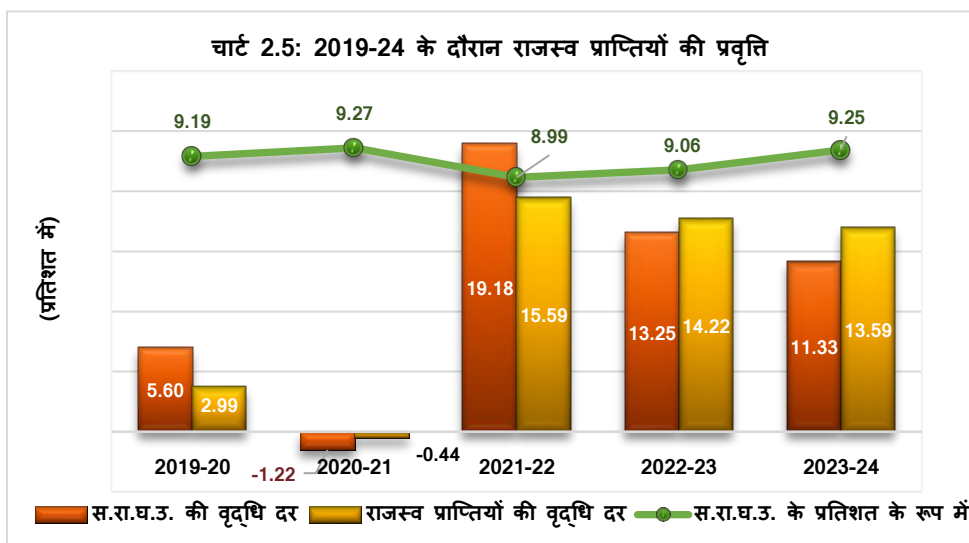
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों का स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

- उत्पलावकता अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि राजस्व प्राप्ति/राज्य के कर राजस्व में वृद्धि ने ऋणात्मक प्रवृत्ति दिखाई।

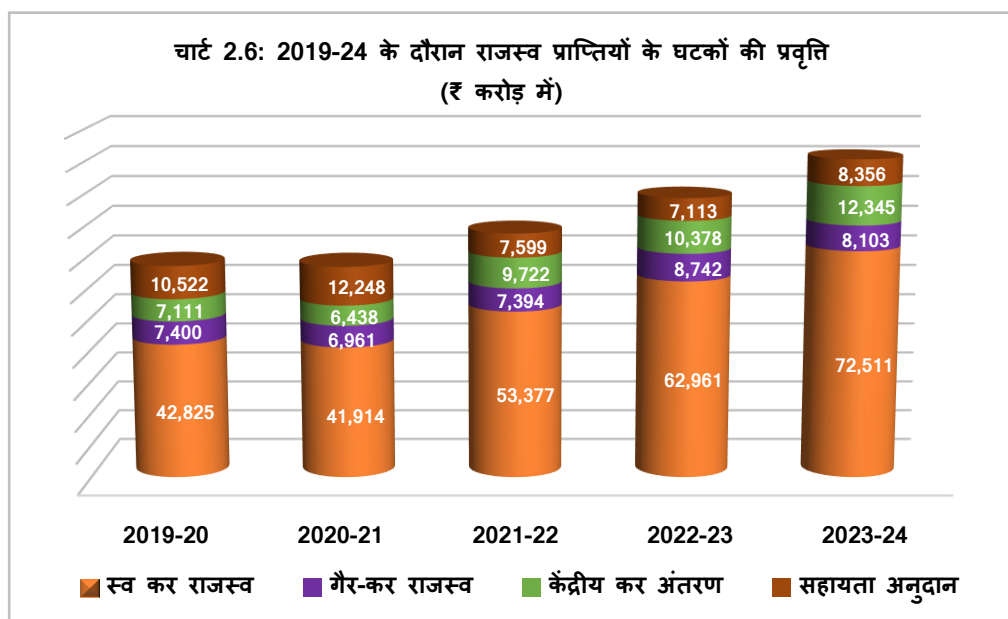
यह देखा जा सकता है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर 2019-20 में 2.99 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 13.59 प्रतिशत हो गई। राजस्व प्राप्तियों से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 2019-20 में 9.19 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 9.25 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 1,09,122 करोड़ के बजट अनुमान के विरुद्ध ₹ 1,01,315 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियाँ थी।

भारत सरकार की ओर से सहायता अनुदान में 2020-21 तक वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, उसके बाद 2022-23 तक 41.92 प्रतिशत की कमी आई और 2023-24 के दौरान फिर से 17.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता 2019-20 में 0.54 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 1.20 प्रतिशत हो गई। राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में राज्य की अपनी कर राजस्व उत्पलावकता 2021-22 में 1.96 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 1.16 प्रतिशत गई। स्व-कर राजस्व और गैर-कर राजस्व के घटकों की प्रवृत्तियों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।



² उत्पलावकता अनुपात राजकोषीय मद की, आधार मद में दी गई मद के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता की मात्रा को इंगित करता है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पूर्णांकन के कारण घटकों के विभाजन और राजस्व प्राप्तियों के कुल आंकड़े में अंतर है।

राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान 49.30 प्रतिशत बढ़ गई। इसी अवधि के दौरान राज्य का स्व-कर राजस्व 69.32 प्रतिशत बढ़ गया किंतु भारत सरकार से सहायता अनुदान में 20.59 प्रतिशत की कमी आई है। राजस्व प्राप्ति में राज्य के स्व-राजस्व (कर राजस्व और गैर-कर राजस्व) का अंश वर्ष 2019-20 में 74.01 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 79.57 प्रतिशत हो गया। राजस्व प्राप्ति में भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश वर्ष 2019-20 में 15.51 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 8.25 प्रतिशत रह गया। राजस्व प्राप्ति में केंद्रीय कर अंतरण का अंश 2019-20 से 2023-24 के दौरान 10.48 प्रतिशत से बढ़कर 12.18 प्रतिशत हो गया।

चालू वर्ष के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 13.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य का स्व-कर एवं गैर-कर राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 8,911 करोड़ (12.43 प्रतिशत) बढ़ गया।

2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्यांश वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधनों को जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन अपने स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है जिसमें स्व-कर और गैर-कर स्रोत शामिल होते हैं।

(i) स्व-कर राजस्व

राज्य के स्व-कर राजस्व में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (रा.व.से.क.), राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस, भू-राजस्व, माल एवं यात्रियों पर कर, इत्यादि शामिल हैं। मुख्य करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण **तालिका 2.4** में दिए गए हैं।

तालिका 2.4: राज्य के स्व-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	स्पाकलाइन
बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	8,398	8,660	11,221	11,262	11,331	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	18,873	18,236	22,922	28,577	33,960	
राज्य उत्पाद शुल्क	6,323	6,864	7,934	9,673	11,326	
वाहनों पर कर	2,916	2,495	3,265	4,231	4,904	
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	6,013	5,157	7,598	8,607	10,529	
भू-राजस्व	20	17	21	23	22	
माल एवं यात्रियों पर कर	16	4	6	3	7	
अन्य कर	266	481	410	585	432	
कुल	42,825	41,914	53,377	62,961	72,511	

- * पूर्णांकन के कारण अंतर। अन्य करों में समायोजन किया गया है ताकि स्व-कर राजस्व के कुल आंकड़े का मिलान किया जा सके।

स्व-कर राजस्व में 2019-20 की तुलना में 2023-24 में ₹ 29,686 करोड़ (69.32 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.), वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस में वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गई जैसा कि **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है।

राज्य का स्व-कर राजस्व ₹ 72,511 करोड़ था जो बजट और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के अंतर्गत ₹ 75,717 करोड़ के अनुमानों की तुलना में ₹ 3,206 करोड़ कम था और 15वें वित्त आयोग द्वारा ₹ 73,730 करोड़ के मानक निर्धारण की तुलना में ₹ 1,219 करोड़ कम था।

(ii) राज्य वस्तु एवं सेवा कर (रा.व.से.क.)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और वित्त लेखा बहियों के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वस्तु एवं सेवा कर की राशि क्रमशः ₹ 33,978.37 करोड़ और ₹ 33,960.03 करोड़ थी। वर्ष 2023-24 तक ₹ 41.07 करोड़ (वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 18.34 करोड़ और वर्ष 2022-23 तक ₹ 22.73 करोड़) के अंतर का समाधान किया जा रहा है।

वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 33,480 करोड़ के बजट अनुमान के विरुद्ध राज्य वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण ₹ 33,960.03 करोड़ (101.43 प्रतिशत) था।

(iii) राजस्व के बकायों का विश्लेषण

राज्य सरकार के विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2024 तक राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों में राजस्व के बकाया की राशि ₹ 41,191.15 करोड़ थी जिसमें से ₹ 21,030.93 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जैसाकि **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है।

विभिन्न चरणों में वसूली की स्थिति का विवरण **परिशिष्ट 2.3** में दिया गया है।

तालिका 2.5: 31 मार्च 2024 तक राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	कुल बकाया राशि	पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि
कर राजस्व में बकाया			
1	स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर वस्तुओं पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	203.38	203.24
2	वस्तु एवं सेवा कर	6,920.99	6,920.99
3	राज्य उत्पाद शुल्क	663.85	267.19
4	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	30,437.24	12,581.07
5	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	66.57	6.17
6	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.11	11.11
कुल		38,303.14	19,989.77
गैर-कर राजस्व में बकाया			
1.	नागरिक उड्डयन	0.97	0.00
2.	राज्य परिवहन	56.44	20.98
3.	स्थानीय लेखापरीक्षा	43.76	32.24
4.	आपूर्ति एवं निपटान	0.71	0.20
5.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	2,645.25	946.85
6.	पुलिस	140.88	40.89
कुल		2,888.01	1,041.16
कुल योग		41,191.15	21,030.93

स्रोत: राज्य सरकार के विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना

₹ 41,191.15 करोड़ की कुल बकाया राशि में से ₹ 38,303.14 करोड़ (92.99 प्रतिशत) कर राजस्व से संबंधित है और ₹ 2,888.01 करोड़ (7.01 प्रतिशत) गैर-कर राजस्व से संबंधित हैं। कुल बकाया कर राजस्व की ₹ 19,989.77 करोड़ (52.19 प्रतिशत) की राशि और कुल बकाया गैर-कर राजस्व की ₹ 1,041.16 करोड़ (36.05 प्रतिशत) की राशि पांच वर्ष से अधिक पुरानी थी। कर राजस्व की ₹ 9,346.07 करोड़ (24.40 प्रतिशत) की राशि और गैर-कर राजस्व की ₹ 519.20 करोड़ (17.98 प्रतिशत) की राशि अदालतों में मुकदमेबाजी के कारण बकाया थी। कर राजस्व की ₹ 26,282.44 करोड़ (68.62 प्रतिशत) की राशि और गैर-कर राजस्व की ₹ 197.03 करोड़ (6.82 प्रतिशत) की राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों के कारण बकाया थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, आबकारी और कराधान विभाग ने बताया (जून 2024) कि बकाया राशि वसूलने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तथ्य यह है कि कर राजस्व का 52.19 प्रतिशत और गैर-कर राजस्व का 36.05 प्रतिशत बकाया पांच साल से अधिक समय से बकाया था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने मामले की जांच करने का आश्वासन दिया।

(iv) निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, निर्धारण हेतु देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष के अंत में अंतिमकरण के लिए लंबित मामलों की संख्या के विवरण, जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर के संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं, **तालिका 2.6** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.6: निर्धारणों में बकाया

राजस्व शीर्ष	वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 6 से 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2021-22	5,036	4,240	9,276	3,096	6,180	33
	2022-23	6,180	4,473	10,653	3,576	7,077	34
	2023-24	7,077	3,884	10,961	3,588	7,373	33

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

(v) विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन का विवरण

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामलों, अंतिमकृत मामलों और अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, तालिका 2.7 में दिए गए हैं।

तालिका 2.7: वर्ष 2023-24 के दौरान पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामलों के विवरण

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2022 तक लंबित मामले	2022-23 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/ जांच पूरी हुई तथा पेनल्टी आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2023 तक अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	
1	0039- राज्य उत्पाद शुल्क	37	141	178	143	6.24	35
2	0040- बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	1	0	1	1	0.01	0

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

(vi) रिफंड मामले

वर्ष 2023-24 के आरंभ में लंबित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, तालिका 2.8 में दी गई है।

तालिका 2.8: वर्ष 2023-24 के दौरान रिफंड मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	बकाया दावों का प्रारंभिक शेष	217	187.08	37	3.42
2	प्राप्त दावे	211	64.82	79	13.54
3	किए गए/समायोजित/अस्वीकृत रिफंड	333	88.09	83	14.67
4	बकाया दावों का अंतिम शेष	95	163.81	33	2.29

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

(vii) गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियां, विभागीय प्राप्तियां आदि शामिल होती हैं। 2019-20 से 2023-24 के दौरान राज्य के गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियां तालिका 2.9 में दी गई हैं।

तालिका 2.9: राज्य के गैर-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

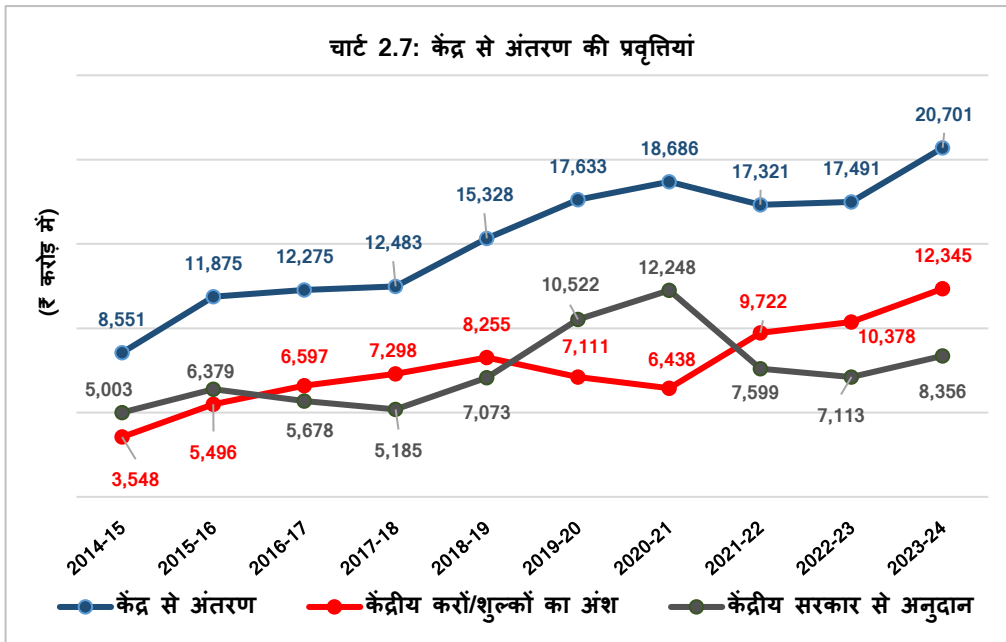
राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	स्पार्कलाइन
ब्याज प्राप्तियां	1,975	1,562	1,378	1,464	1,645	
लाभांश एवं लाभ	87	163	1,008	192	290	
अन्य गैर-कर प्राप्तियां	5,338	5,236	5,008	7,086	6,168	
क) मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	172	210	232	360	618	
ख) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	21	8	12	1,345	3	
ग) सड़क परिवहन	1,115	585	1,077	1,333	1,368	
घ) शहरी विकास	1,855	1,954	1,241	1,284	1,560	
ड.) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	458	595	220	678	367	
च) अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	702	1,021	838	834	811	
छ) अन्य या विविध	1,015	863	1,388	1,252	1,441	
कुल	7,400	6,961	7,394	8,742	8,103	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2019-24 के दौरान गैर-कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियों में ₹ 703 करोड़ (9.50 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। गैर-कर राजस्व (₹ 8,103 करोड़) ने मुख्यतः शहरी विकास (₹ 276 करोड़) के अंतर्गत प्राप्तियों, लाभांश एवं लाभ में ₹ 98 करोड़ तक प्राप्तियों में वृद्धि द्वारा ऑफ सेट अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्तियों में ₹ 1,342 करोड़ तक, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति में ₹ 311 करोड़ तक कमी के कारण गत वर्ष से (-) ₹ 639 करोड़ (7.31 प्रतिशत) की कमी दर्ज करते हुए 2023-24 के दौरान राजस्व प्राप्ति का 8.00 प्रतिशत संघटित किया। ₹ 1,645 करोड़ की ब्याज प्राप्तियों में सिंचाई परियोजना, अनाज आपूर्ति योजना तथा सड़क परिवहन पर ₹ 1,361 करोड़ का बही समायोजन शामिल है। बजट और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए अनुमानों की तुलना में गैर-कर राजस्व में ₹ 4,548 करोड़ और 15वें वित्त आयोग द्वारा ₹ 10,652 करोड़ के मानक निर्धारण के प्रति ₹ 2,549 करोड़ की कमी थी।

2.3.2.3 केंद्र से अंतरण

2014-15 से 2023-24 के दौरान केंद्र से अंतरण की प्रवृत्तियां चार्ट 2.7 में दर्शाई गई हैं।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

(i) केंद्रीय कर अंतरण

चौदहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 32 से 42 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्यांश क्रमशः 1.084 तथा 1.091 प्रतिशत तय किया गया था। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को केंद्रीय करों की बांटने योग्य राशि 42 से घटाकर 41 प्रतिशत करने की सिफारिश की।

केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश 2015-16 में ₹ 5,496 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 8,255 करोड़ हो गया और उसके बाद 2020-21 में घटकर ₹ 6,438 करोड़ हो गया। आगे, इसमें 2021-22 में ₹ 9,722 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 12,345 करोड़ तक की वृद्धि की प्रवृत्ति भी देखी गई जैसा कि तालिका 2.10 में विवरण दिए गए हैं।

तालिका 2.10: केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश: वित्त आयोग के अनुमानों की तुलना में वास्तविक अंतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग अनुमान	एफसीआर में अनुमान	वास्तविक कर अंतरण	अंतर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2015-16	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.084 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की निवल आय का 1.091 प्रतिशत (14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार)	6,286	5,496	(-) 790
2016-17		7,254	6,597	(-) 657
2017-18		8,381	7,298	(-) 1,083
2018-19		9,696	8,255	(-) 1,441
2019-20		11,230	7,111	(-) 4,119
2020-21	करों की निवल आय का 1.082 प्रतिशत (विभाज्य पूल) (15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार)	9,253	6,438	(-) 2,815
2021-22		7,198	9,722	2,524
2022-23		8,008	10,378	2,370
2023-24		9,011	12,345	3,334

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2019-20 से 2023-24 तक केंद्रीय कर अंतरण का विवरण तालिका 2.11 में दिया गया है।

तालिका 2.11: केंद्रीय कर अंतरण के विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	2,018.07	1,907.46	2,763.35	2,932.91	3,746.67
निगम कर	2,424.73	1,946.54	2,846.17	3,478.57	3,705.50
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	1,899.93	1,996.13	2,874.79	3,397.23	4,279.41
सीमा शुल्क	450.77	338.27	709.48	407.99	432.62
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	313.42	215.83	390.43	128.00	163.72
सेवा कर	--	28.52	127.53	16.22	2.31
अन्य कर ³	4.61	4.84	10.41	17.08	15.12
केंद्रीय कर अंतरण	7,111.53	6,437.59	9,722.16	10,378.00	12,345.35
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	(-) 14	(-) 9	51	7	19
राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय कर अंतरण की प्रतिशतता	10	10	12	12	12

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2023-24 के दौरान प्राप्त केंद्रीय करों का हिस्सा (₹ 12,345 करोड़) 2022-23 की तुलना में ₹ 1,967 करोड़ (19 प्रतिशत) अधिक था। यह बजट अनुमान 2023-24 (₹ 11,164 करोड़) में किए गए अनुमानों से भी ₹ 1,181 करोड़ अधिक था।

(ii) भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायतानुदानों में पिछले वर्ष से 2023-24 में ₹ 1,242 करोड़ की कमी हुई जैसा कि तालिका 2.12 में दर्शाया गया है।

³ वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क।

तालिका 2.12: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	2,851.99	3,135.18	3,332.31	2,919.81	2,768.56
वित्त आयोग अनुदान	2,005.74	2,364.00	1,192.05	1,617.56	1,973.33 [§]
वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए क्षतिपूर्ति	5,453.43	5,065.81*	2,908.67**	2,575.89	3,504.88
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	210.75	1,683.14	165.21	0.00	108.60
कुल	10,521.91	12,248.13	7,598.24	7,113.26	8,355.37
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	49	16	(-)-38	(-)-6	17
राजस्व प्राप्तियों से सहायतानुदान की प्रतिशतता	16	18	10	8	8

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- * इसमें वर्ष 2020-21 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल नहीं हैं।
- ** इसमें वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 7,394 करोड़ शामिल नहीं हैं।
- § वर्ष 2021-22 को छोड़कर राज्य सरकार को राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्ष 2023-24 के दौरान सहायतानुदान का 41.95 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के बदले क्षतिपूर्ति के कारण था।

(क) केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान

2023-24 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ₹ 2,768.56 करोड़ के अनुदान में से, प्रमुख राशियां निम्नलिखित को दी गईं:

- अमृत (अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन) (₹ 323.08 करोड़ - पिछले वर्ष की तुलना में 30.12 प्रतिशत की वृद्धि)।
- आंगनवाड़ी सेवा (आईसीडीएस) (₹ 208.06 करोड़ - पिछले वर्ष की तुलना में 5.58 प्रतिशत की वृद्धि)।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (₹ 117.53 करोड़ - पिछले वर्ष की तुलना में 1,641.19 प्रतिशत की वृद्धि)।
- राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - समग्र शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा (₹ 576.66 करोड़ - पिछले वर्ष की तुलना में 54.45 प्रतिशत की वृद्धि)।
- प्रधानमंत्री आवास योजना - (₹ 204.21 करोड़ - पिछले वर्ष की तुलना में 322.10 प्रतिशत की वृद्धि)।
- प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पोषण) - (₹ 178.82 करोड़ - पिछले वर्ष की तुलना में 16.95 प्रतिशत की वृद्धि)।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (₹ 206.45 करोड़ - पिछले वर्ष की तुलना में 27.93 प्रतिशत की वृद्धि)।

(ख) एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) को निधियों का अंतरण

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)-एकल नोडल एजेंसी की राज्य सरकार/एकल

नोडल एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खजाना खातों में वर्ष के दौरान केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 2,577.32 करोड़ प्राप्त हुए। 31 मार्च 2024 तक, राज्य सरकार ने एकल नोडल एजेंसी को ₹ 2,282.28 करोड़ का केंद्र का हिस्सा और ₹ 4,080.11 करोड़ का राज्य का हिस्सा अंतरित कर दिया। ₹ 6,362.39 करोड़ के कुल अंतरण में से, ₹ 162.46 करोड़ सार आकस्मिक (एसी) बिलों के माध्यम से, ₹ 2,975.96 करोड़ सहायता अनुदान बिलों के माध्यम से, ₹ 3,223.97 करोड़ पूरी तरह से प्रमाणित आकस्मिक बिलों के माध्यम से अंतरित किए गए। वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज एकल नोडल एजेंसी से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए थे। केंद्रीय अंशदान ₹ 2,577.32 करोड़ के विरुद्ध अंतरण ₹ 2,282.28 करोड़ था, जिससे ₹ 295.04 करोड़ का कम अंतरण हुआ। इस सीमा तक नकद शेष राशि को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया।

राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी/एकल नोडल एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक एकल नोडल एजेंसी के बैंक खातों में ₹ 2,683.41 करोड़ बिना खर्च किए पड़े हैं। वित्त लेखों और एकल नोडल एजेंसी के अनुसार आंकड़े समाधान के अधीन हैं।

(iii) पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान

पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान राज्यों को स्थानीय निकायों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) के लिए प्रदान किए गए थे। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों के विवरण तालिका 2.13 में दिए गए हैं।

तालिका 2.13: सहायतानुदान की अनुशंसित राशि, वास्तविक रूप से जारी तथा अंतरण

(₹ करोड़ में)

अंतरण	15वें वित्त आयोग की सिफारिश			भारत सरकार द्वारा वास्तविक अंतरण			राज्य सरकार द्वारा किए गए अंतरण		
	2022-23	2023-24	कुल	2022-23	2023-24	कुल	2022-23	2023-24	कुल
स्थानीय निकाय									
(i) पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) को अनुदान	968.00	979.00	1,947.00	660.96	1,340.25	2,001.21	660.96	1,150.49	1,811.45
(क) सामान्य मूल अनुदान	387.20	391.60	778.80	380.46	570.11	950.57	380.46	570.11	950.57
(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान	580.80	587.40	1,168.20	280.50	770.14	1,050.64	280.50	580.38	860.88
(ii) शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) को अनुदान	477.00	504.00	981.00	394.00	199.48	593.48	394.00	228.65	622.65
(क) सामान्य मूल अनुदान	160.40	169.20	329.60	157.60	129.20	286.80	157.60	129.20	286.80
(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान	316.60	334.80	651.40	236.40	70.28	306.68	236.40	99.45*	335.85
(iii) स्वास्थ्य क्षेत्र को अनुदान	305.00	320.00	625.00	0	0	0	0	0	0
स्थानीय निकायों को कुल (i+ii+iii)	1,750.00	1,803.00	3,553.00	1,054.96	1,539.73	2,594.69	1,054.96	1,379.14	2,434.10
राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ)	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) को कुल	412.80	433.60	846.40	412.80	433.60	846.40	412.80	433.60
राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ)	रा.आ.प्र.नि. को कुल	550.40	577.60	1,128.00	412.80	433.60	846.40	550.40	577.60
एसडीआरएमएफ	केंद्रीय अंश	103.20	108.30	211.50	149.80	0	149.80	0	0
एसडीआरएमएफ	राज्य अंश	34.40	36.10	70.50	0	0	0	0	0
एसडीआरएमएफ को कुल	137.60	144.40	282.00	149.80	0	149.80	0	0	0
कुल योग	2,438.00	2,525.00	4,963.00	1,617.56	1,973.33	3,590.89	1,605.36	1,956.74	3,562.10

स्रोत: वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

- * 2020-21 में ₹ 24 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ, लेकिन राज्य सरकार द्वारा 2023-24 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 29.17 करोड़ (₹ 5.17 करोड़ के ब्याज सहित) जारी किए गए।
- 15वें वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुशंसित ₹ 1,947 करोड़ की राशि के विरुद्ध भारत सरकार ने 2022-23 और 2023-24 की अवधि के दौरान ₹2,001.21 करोड़ जारी किए। इस राशि में से राज्य सरकार ने इसी अवधि के दौरान

₹ 1,811.45 करोड़ जारी किए।

- शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में, ₹ 981 करोड़ की अनुशंसित राशि के विरुद्ध, भारत सरकार ने 2022-23 और 2023-24 की अवधि के दौरान ₹ 593.48 करोड़ जारी किए, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने इसी अवधि के दौरान ₹ 622.65 करोड़ जारी किए।
- 2022-24 की अवधि हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान के रूप में ₹ 625 करोड़ की 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के विरुद्ध भारत सरकार से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के संबंध में, 15वें वित्त आयोग ने 75:25 के अनुपात में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी की सिफारिश की। ₹ 846.40 करोड़ के अनुशंसित हिस्से के विरुद्ध, भारत सरकार ने 2022-23 और 2023-24 की अवधि के दौरान ₹ 846.40 करोड़ जारी किए। राज्य सरकार ने इसी अवधि के दौरान ₹ 846.40 करोड़ के साथ-साथ ₹ 281.60 करोड़ का अपना हिस्सा भी जारी किया।
- राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के संबंध में, राज्य सरकार अभी तक निधि में कोई राशि अंतरित नहीं कर सकी है, क्योंकि निधि का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार से ₹149.80 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। 2019-20 से 2023-24 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण **तालिका 2.14** में दिया गया है।

तालिका 2.14: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संरचना में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पूंजीगत प्राप्तियां	48,616.71	44,982.31	45,503.37	59,826.71	63,142.68
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	54.01	62.96	67.15	73.91	114.83
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	5,392.63	431.95	500.24	237.75	301.15
लोक ऋण प्राप्तियां	43,170.07	44,487.40	44,935.98	59,515.05	62,726.70
आंतरिक ऋण ⁴	43,067.68	44,362.72	44,792.38	58,244.75	60,981.54
वृद्धि दर	28.04	3.01	0.97	30.03	4.70
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	102.39	124.68 ⁵	143.60 ⁵	1,270.30	1,745.16
वृद्धि दर	(-) 17.98	21.77	15.17	784.61	37.38
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	27.87	3.05	1.01	32.44	5.40
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	0.47	(-) 90.91	14.65	(-) 45.07	33.47
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	5.60	(-) 1.22	19.18	13.25	11.33
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	24.08	(-) 7.48	1.16	31.48	5.54

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

₹ वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में क्रमशः ₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,394 करोड़ शामिल नहीं हैं, जिन्हें दिशानिर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

⁴ अर्थात्पाय अग्रिम के अंतर्गत सकल आंकड़ों को छोड़कर।

2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान आंतरिक ऋण प्राप्तियों में ₹ 2,736.79 करोड़ की वृद्धि हुई। 2022-23 की तुलना में 2023-24 में विविध पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 40.92 करोड़ की वृद्धि हुई। इसके अलावा, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली 2022-23 (₹ 237.75 करोड़) की तुलना में 2023-24 (₹ 301.15 करोड़) में ₹ 63.40 करोड़ बढ़ी।

2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का निष्पादन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्यांश वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन अपने स्वयं के संसाधनों, जिसमें स्व-कर एवं गैर-कर स्रोत शामिल हैं, के संदर्भ में किया जाता है।

पन्द्रहवें वित्त आयोग तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की वास्तविक कर तथा गैर-कर प्राप्तियां **तालिका 2.15** में दी गई हैं।

तालिका 2.15: 15वें वित्त आयोग तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक कर एवं गैर-कर प्राप्तियां

	15वें वि.आ. अनुमान	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. अनुमान	वास्तविक	पर वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता		
					15वें वि.आ. अनुमान	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. अनुमान
	(₹ करोड़ में)						
कर राजस्व	73,730	75,717	75,717	72,511	(-) 1.65	(-) 4.23	(-) 4.23
गैर-कर राजस्व	10,652	12,651	12,651	8,103	(-) 23.93	(-) 35.95	(-) 35.95

राज्य के स्व-कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण 15वें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमानों से 1.65 प्रतिशत और बजट अनुमानों तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए अनुमानों से 4.23 प्रतिशत कम था। गैर-कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां 15वें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमानों से 23.93 प्रतिशत और बजट अनुमानों एवं मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए अनुमानों से 35.95 प्रतिशत कम रही।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार के पास राजकोषीय उत्तरदायित्व विधियों के फ्रेमवर्क के भीतर व्यय करने का उत्तरदायित्व निहित है और उसी समय यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चालू राजकोषीय सुधार तथा समेकन प्रक्रिया, पूंजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास की ओर निर्देशित व्यय की लागत पर नहीं है। संसाधनों के अनुप्रयोग का विश्लेषण, विभिन्न शीर्षकों जैसे व्यय की वृद्धि एवं संरचना, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय तथा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता के रूप में अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया गया है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

राज्य सरकार के व्यय को दो श्रेणियों अर्थात् राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। **राजस्व व्यय** में रखरखाव, मरम्मत, सुव्यवस्था तथा कार्यशील व्ययों पर प्रभारों, जो परिसंपत्तियों को चालू अवस्था में बनाए रखने के लिए अपेक्षित हैं, के साथ-साथ

स्थापना एवं प्रशासनिक व्ययों सहित संगठन के दिन-प्रतिदिन के व्यय के लिए अन्य सभी व्यय भी शामिल हैं।

पूँजीगत व्यय में परियोजना के पहले निर्माण के सभी प्रभारों के साथ-साथ कार्य के मध्यवर्ती रखरखाव, जबकि सेवा के लिए नहीं खोला गया, के प्रभार और ऐसे अतिरिक्त परिवर्धनों और सुधारों के प्रभार भी शामिल हैं जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्वीकृत किए जा सकते हैं।

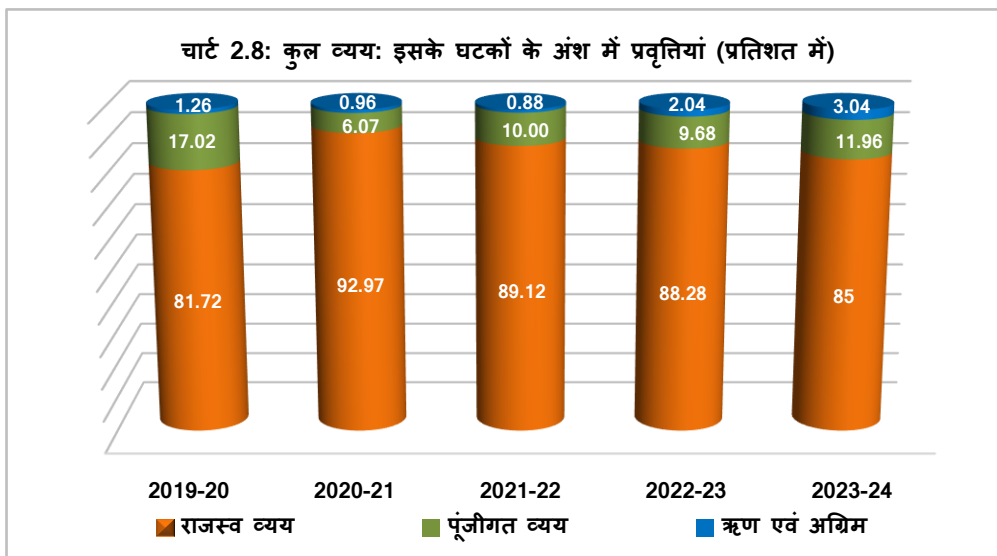
गत पांच वर्षों (2019-24) में कुल व्यय की प्रवृत्ति और संरचना तालिका 2.16 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.16: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

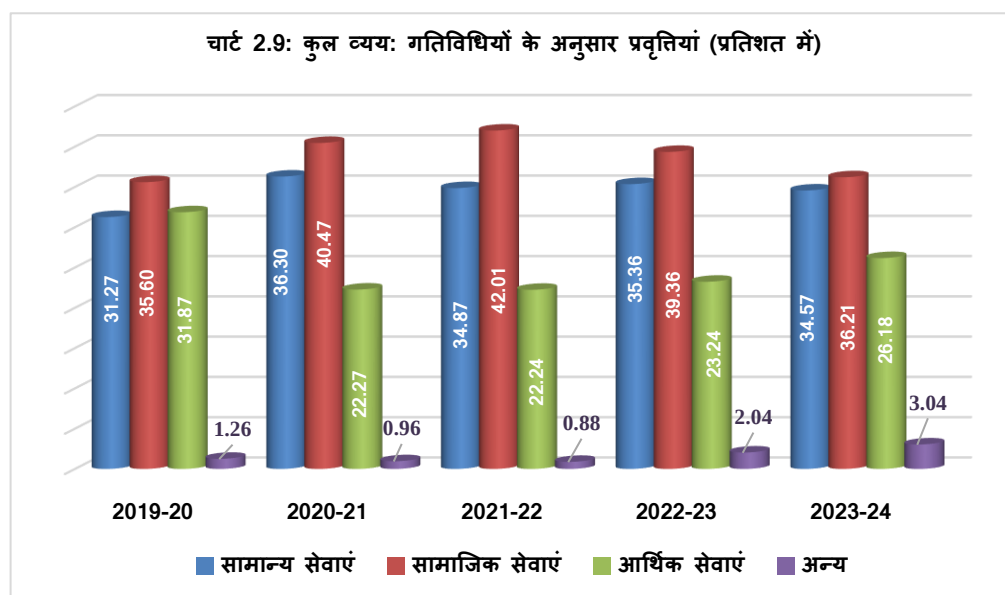
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय (कु.व्य.)	1,03,823	96,742	1,10,437	1,20,533	1,33,172
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	84,848	89,946	98,425	1,06,406	1,13,196
पूँजीगत व्यय	17,666	5,870	11,046	11,665	15,921
ऋण एवं अग्रिम	1,309	926	966	2,462	4,055
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7,38,052	7,29,079	8,68,905	9,84,055	10,95,535
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	14.07	13.27	12.71	12.25	12.16
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	11.50	12.34	11.33	10.81	10.33
पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.39	0.81	1.27	1.19	1.45
ऋण एवं अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.18	0.13	0.11	0.25	0.37

पांच वर्षों (2019-24) की अवधि में कुल व्यय में 28.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय में 33.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पूँजीगत व्यय में 9.88 प्रतिशत की कमी आई।



जैसा कि चार्ट 2.8 में दर्शाया गया है, कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 2019-20 में 81.72 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 92.97 प्रतिशत हो गया और उसके बाद 2023-24 में घटकर 85 प्रतिशत हो गया। कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश 2019-20 में 17.02 प्रतिशत

से घटकर 2020-21 में 6.07 प्रतिशत रह गया लेकिन 2023-24 में बढ़कर 11.96 प्रतिशत हो गया। 2019-20 में ऋण एवं अग्रिम का अंश 1.26 प्रतिशत था जो 2023-24 में बढ़कर 3.04 प्रतिशत हो गया।



जैसा कि चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है, सामान्य सेवाओं का अंश, जिसमें ब्याज भुगतान शामिल हैं, 2019-20 से बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाई और 2019-20 में 31.27 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 36.30 प्रतिशत हो गया। तथापि, 2023-24 में यह घटकर 34.57 प्रतिशत रह गया। सामाजिक सेवाओं का अंश भी 2021-22 में 35.60 प्रतिशत से बढ़कर 42.01 प्रतिशत हो गया तथापि 2023-24 में यह घटकर 36.21 प्रतिशत रह गया। आर्थिक सेवाओं पर व्यय 2019-20 में 31.87 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 22.24 प्रतिशत रह गया। इसके बाद इसमें 2022-23 में 23.24 प्रतिशत से 2023-24 में 26.18 प्रतिशत तक वृद्धि की प्रवृत्ति दिखी। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर संयुक्त व्यय, जो विकास व्यय का प्रतिनिधित्व करता है, 2019-20 में 67.47 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 62.39 प्रतिशत रह गया। अन्य, जिसमें स्थानीय निकायों के लिए अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं, के अंतर्गत दिखाए गए व्यय का हिस्सा 2019-20 के दौरान कुल व्यय का 1.26 प्रतिशत था जो 2023-24 के दौरान बढ़कर 3.04 प्रतिशत हो गया।

2.4.2 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य की अवसंरचना और सेवा नेटवर्क में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं करता है। तालिका 2.17 पांच वर्षों (2019-24) में राजस्व व्यय की वृद्धि को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.17: 2019-24 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि

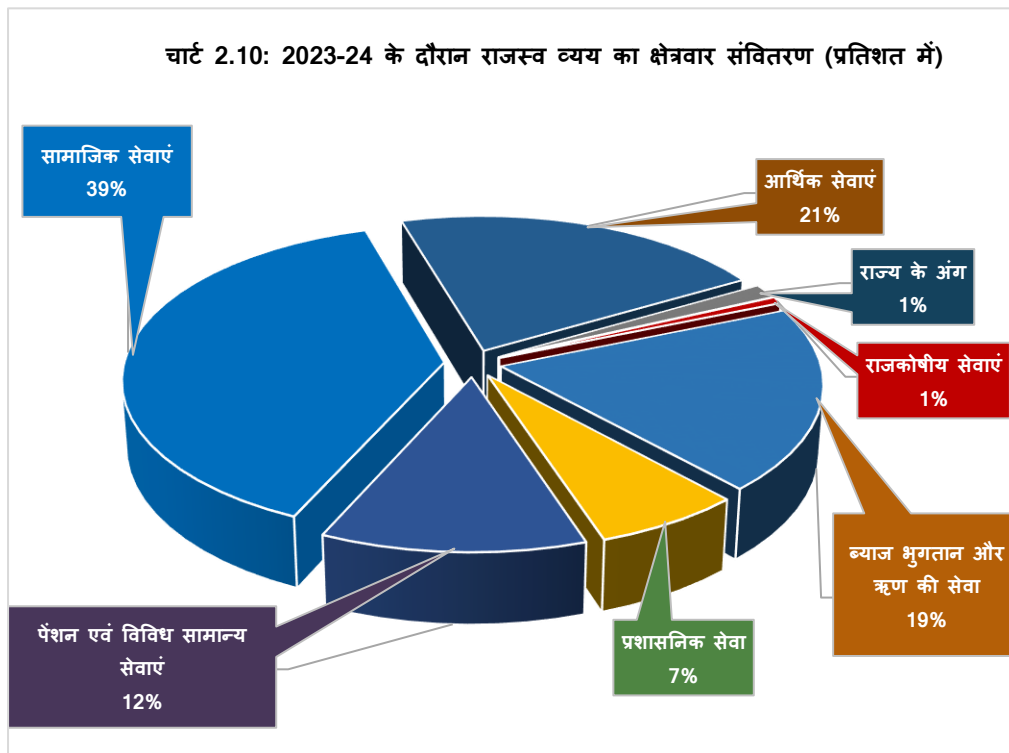
(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय (कु.व्य.)	1,03,823	96,742 ⁵	1,10,437	1,20,533	1,33,172
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	84,848	89,946	98,425	1,06,406	1,13,196
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.97	6.01	9.43	8.11	6.38
कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	81.72	92.97	89.12	88.28	85.00
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	11.50	12.34	11.33	10.81	10.33
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	125.04	133.13	126.04	119.30	111.73
राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.)	67,858	67,561	78,092	89,194	1,01,315
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	2.99	(-) 0.44	15.59	14.22	13.59
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7,38,052	7,29,079	8,68,905	9,84,055	10,95,535
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.60	(-) 1.22	19.18	13.25	11.33

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2019-24 के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 28,348 करोड़ (33.41 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और इसी अवधि के दौरान कुल व्यय में इसकी प्रतिशतता 81.72 प्रतिशत से 92.97 प्रतिशत के मध्य रही। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसकी प्रतिशतता 2019-20 में 11.50 से घटकर 2023-24 में 10.33 रह गई। राजस्व व्यय 2022-23 में ₹ 1,06,406 करोड़ से छः प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में ₹ 1,13,196 करोड़ हो गया तथा बजट और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 1,26,071 करोड़) में किए गए अनुमान की तुलना में 2023-24 में कम था। तथापि, यह 15वें वित्त आयोग के निर्धारित मानक (₹ 83,038 करोड़) से ₹ 30,158 करोड़ अधिक था।

राजस्व व्यय का क्षेत्रवार संवितरण चार्ट 2.10 में प्रस्तुत किया गया है।



⁵ ₹ 800 करोड़ की आकस्मिक निधि के विनियोग को छोड़कर।

2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख बदलाव

राजस्व व्यय 2022-23 में ₹ 1,06,406 करोड़ से ₹ 6,790 करोड़ (6.38 प्रतिशत) बढ़कर 2023-24 में ₹ 1,13,196 करोड़ हो गया। मुख्य रूप से पेंशनों और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों, पुलिस सेवा, ब्याज भुगतानों और न्याय प्रशासन पर व्यय में वृद्धि के कारण सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में ₹ 3,329.60 करोड़ की वृद्धि हुई। मुख्य रूप से जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर व्यय में वृद्धि के कारण सामान्य शिक्षा, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, शहरी विकास और श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास पर व्यय में कमी के कारण सामाजिक सेवाओं पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 97.15 करोड़ बढ़ गया। खाद्य भंडारण और गोदाम, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क एवं पुल पर व्यय में वृद्धि और फसल पालन पर व्यय में कमी द्वारा ऑफसेट के कारण आर्थिक सेवाओं पर व्यय में ₹ 3,362.74 करोड़ की वृद्धि हुई।

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रमुख बदलाव **तालिका 2.18** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.18: 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय में प्रमुख बदलाव

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2022-23	2023-24	वृद्धि (+)/कमी (-)
सामान्य सेवाएं	42,068.66	45,398.26	3,329.60
2014-न्याय प्रशासन	1,019.17	1,329.34	310.17
2030-स्टाम्प एवं पंजीकरण	10.18	133.53	123.35
2049-ब्याज भुगतान	20,095.57	21,604.97	1,509.40
2055-पुलिस	5,568.95	5,804.30	235.35
2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	12,403.83	13,496.70	1,092.87
सामाजिक सेवाएं	43,680.38	43,777.53	97.15
2202-सामान्य शिक्षा	17,247.22	16,095.53	(-) 1,151.69
2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	6,044.38	5,788.09	(-) 256.29
2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	2,243.26	2,708.76	465.50
2217-शहरी विकास	3,758.13	3,300.18	(-) 457.95
2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	1,183.21	866.44	(-) 316.77
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	10,035.81	11,438.17	1,402.36
आर्थिक सेवाएं	20,657.17	24,019.91	3,362.74
2401-फसल पालन	2,243.09	1,721.80	(-) 521.29
2408-खाद्य भंडारण और गोदाम	343.57	985.22	641.65
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2,140.93	3,321.78	1,180.85
2700-प्रमुख सिंचाई	1,518.46	1,721.86	203.40
2801-विद्युत	6,764.86	7,144.85	379.99
2810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	307.34	808.22	500.88
3054-सड़कें एवं पुल	650.37	1,346.26	695.89
3055-सड़क परिवहन	2,412.52	2,574.29	161.77

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- 'न्याय प्रशासन' में ₹ 310 करोड़ की वृद्धि 'सिविल और सत्र न्यायालयों' में ₹ 267 करोड़ और 'कानूनी सलाहकारों और परामर्शदाताओं' में ₹ 38 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई;
- 'स्टाम्प एवं पंजीकरण' में ₹ 123 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'स्टाम्प की लागत' में ₹ 87 करोड़ और 'स्टाम्प की बिक्री पर व्यय' में ₹ 36 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई;

- 'ब्याज भुगतान' में ₹ 1,509 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'बाजार ऋण पर ब्याज' में ₹ 2,104 करोड़ के ब्याज भुगतान और 'केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम पर ब्याज' में ₹ 38 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई, जिसमें 'अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज' में ₹ 569 करोड़ और 'राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज' में ₹ 97 करोड़ की कमी से आंशिक रूप से भरपाई हुई;
- 'पुलिस' में ₹ 235 करोड़ की वृद्धि 'आपराधिक जांच और सतर्कता' में ₹ 26 करोड़ और 'जिला पुलिस' में ₹ 332 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई, जिसकी भरपाई 'पुलिस बल के आधुनिकीकरण' में ₹ 43 करोड़ और 'अन्य व्यय' में ₹ 75 करोड़ की कमी से हुई;
- 'पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ' में ₹ 1,093 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति भत्ते' में ₹ 591 करोड़, 'पेंशन के प्रतिबद्ध मूल्य' में ₹ 58 करोड़, 'पारिवारिक पेंशन' में ₹ 101 करोड़ और 'परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान' में ₹ 343 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई;
- 'सामान्य शिक्षा' में ₹ 1,152 करोड़ की कमी मुख्य रूप से 'प्रारंभिक शिक्षा' के अंतर्गत 'सर्वशिक्षा अभियान' में ₹ 165 करोड़ और 'अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना' में ₹ 130 करोड़ की कमी, 'माध्यमिक शिक्षा' के अंतर्गत 'छात्रवृत्ति योजना' में ₹ 917 करोड़ और 'विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा' के अंतर्गत 'विश्वविद्यालयों को सहायता' में ₹ 591 करोड़ की कमी के कारण हुई, जिसकी भरपाई 'विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम' में ₹ 416 करोड़ और 'प्रारंभिक शिक्षा' के अंतर्गत 'सरकारी प्राथमिक विद्यालयों' में ₹ 296 करोड़ और 'विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा' के अंतर्गत 'गैर-सरकारी महाविद्यालयों और संस्थानों को सहायता' में ₹ 100 करोड़ की वृद्धि से हुई;
- 'चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य' में ₹ 256 करोड़ की कमी मुख्य रूप से 'शहरी स्वास्थ्य सेवाओं' के अंतर्गत 'अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों' में ₹ 153 करोड़, 'प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं' में ₹ 160 करोड़, 'एलोपैथी' में ₹ 739 करोड़ और 'अन्य गैर-सरकारी संस्थानों को सहायता' में ₹ 71 करोड़ की कमी के कारण हुई, जिसकी भरपाई 'कर्मचारी राज्य बीमा योजना' में ₹ 113 करोड़, 'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता' में ₹ 612 करोड़, 'ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं' के अंतर्गत 'अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों' में ₹ 85 करोड़, 'आयुर्वेद' में ₹ 19 करोड़ और 'स्वायत्त निकायों को सहायता' में ₹ 29 करोड़ की वृद्धि से हुई;
- 'जल आपूर्ति एवं स्वच्छता' में ₹ 466 करोड़ की वृद्धि 'निर्देशन एवं प्रशासन' में ₹ 180 करोड़, 'शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम' में ₹ 35 करोड़ तथा 'ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम' में ₹ 243 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई;
- 'शहरी विकास' में ₹ 458 करोड़ की कमी मुख्य रूप से 'नगर निगमों को सहायता' में ₹ 724 करोड़ की कमी के कारण हुई, जिसकी आंशिक भरपाई 'नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता' में ₹ 279 करोड़ की वृद्धि से हुई;
- 'श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास' में ₹ 317 करोड़ की कमी मुख्य रूप से 'रोजगार

सेवाओं' में ₹ 334 करोड़ की कमी के कारण हुई, जिसकी आंशिक भरपाई 'निर्देशन एवं प्रशासन' में ₹ 24 करोड़ की वृद्धि से हुई;

- 'सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण' में ₹ 1,402 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पेंशन' में ₹ 1,283 करोड़ तथा 'सरकारी कर्मचारी बीमा योजना' में ₹ 157 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई;
- 'फसल पालन' में ₹ 521 करोड़ की कमी 'वाणिज्यिक फसलों' में ₹ 424 करोड़, 'कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी' में ₹ 179 करोड़, 'बागवानी एवं सब्जी फसलों' में ₹ 46 करोड़ की कमी के कारण हुई, जिसकी भरपाई 'विस्तार एवं कृषक प्रशिक्षण' में ₹ 87 करोड़ तथा 'कृषि अभियांत्रिकी' में ₹ 61 करोड़ की वृद्धि से हुई;
- 'खाद्य भंडारण एवं गोदाम' में ₹ 642 करोड़ की वृद्धि 'निर्देशन एवं प्रशासन' में व्यय में वृद्धि के कारण हुई;
- 'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों' में ₹ 1,181 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'पंचायती राज' में ₹ 788 करोड़ और 'ग्राम पंचायतों को सहायता' में ₹ 514 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई, जिसकी आंशिक भरपाई 'ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान' में ₹ 130 करोड़ की कमी से हुई;
- 'विद्युत' में ₹ 380 करोड़ की वृद्धि 'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता' में ₹ 6,660 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई, जिसकी भरपाई 'अन्य व्यय' में ₹ 6,280 करोड़ की कमी से हुई;
- 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा' में ₹ 501 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा' के अंतर्गत व्यय में वृद्धि के कारण हुई; और
- 'सड़क एवं पुल' में ₹ 696 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'राज्य राजमार्गों और जिला एवं अन्य सड़कों' के अंतर्गत 'सड़क निर्माण' में व्यय में वृद्धि के कारण हुई।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशनों पर व्यय शामिल हैं। इसका सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार है।

उपर्युक्त के अलावा, पूंजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनीय लेनदेन के विपरीत, अपरिवर्तनीय व्यय की कुछ वस्तुएं हैं, जिन्हें सामान्य रूप से बदला या बदला नहीं जा सकता है या वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से अपेक्षित हैं, उदाहरण के लिए निम्नलिखित मदों को अपरिवर्तनीय व्यय के रूप में माना जा सकता है:

- (i) स्थानीय निकायों को अंतरण - वेतन और भत्ते के लिए स्थानीय निकायों को वैधानिक अंतरण (पूंजीगत व्यय के लिए अंतरण/अंतरण)।
- (ii) आरक्षित निधि में अंशदान की वैधानिक आवश्यकताएं - समेकित सिंकिंग निधि (सीएसएफ), गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ), राज्य आपदा न्यूनीकरण/प्रतिक्रिया निधि

(एसडीएमएफ/एसडीआरएफ), आदि में अंशदान।

- (iii) आकस्मिकता निधि की वसूली - वर्ष के भीतर वसूल की गई राशि।
- (iv) उपकर को आरक्षित निधि/अन्य निकाय में अंतरित करना, जो वैधानिक रूप से अपेक्षित है।
- (v) प्राप्त केंद्रीय निधि के विरुद्ध समेकित सिंकिंग निधि का शेयर अंशदान - राज्य के हिस्से की राशि एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) को अंतरित की जाएगी/राज्य द्वारा खर्च की जाएगी।
- (vi) ब्याज वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान करना जैसे कि उन्हें निवेश किया जा सकता था और लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान प्रप्रभारित व्यय - ब्याज भुगतान के रूप में किया जा सकता था।

प्रतिबद्ध व्यय पर वृद्धि की प्रवृत्ति से सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलापन रह गया है। 2019-24 के दौरान प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय तथा उनके घटकों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण **तालिका 2.19** में दर्शाया गया है और राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा **चार्ट 2.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.19: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

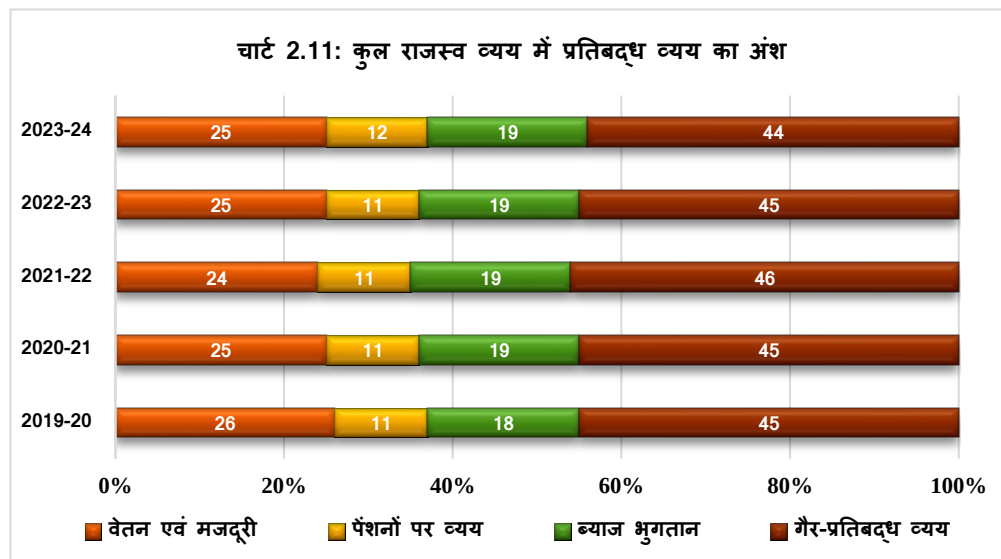
(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वेतन एवं मजदूरी	22,365	22,595	24,236	26,409	27,878 ⁶
पेंशन पर व्यय	8,833	9,713	10,617	12,404	13,497
ब्याज भुगतान	15,588	17,115	18,362	20,096	21,605
कुल	46,786	49,423	53,215	58,909	62,980
राजस्व प्राप्तियों (रा.प्रा.) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	32.96	33.44	31.04	29.61	27.52
पेंशन पर व्यय	13.02	14.38	13.60	13.91	13.32
ब्याज भुगतान	22.97	25.33	23.51	22.53	21.32
कुल	68.95	73.15	68.15	66.05	62.16
राजस्व व्यय (रा.व्य.) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	26.36	25.12	24.62	24.82	24.63
पेंशन पर व्यय	10.41	10.80	10.79	11.65	11.92
ब्याज भुगतान	18.37	19.03	18.66	18.89	19.09
कुल	55.14	54.95	54.07	55.36	55.64
गैर-प्रतिबद्ध राजस्व व्यय	38,062	40,523	45,210	47,497	50,216
राजस्व व्यय की प्रतिशतता	44.86	45.05	45.93	44.64	44.36
कुल व्यय की प्रतिशतता	36.66	41.89	40.94	39.41	37.71
अपरिवर्तनीय (इनफ्लेक्सीबल) व्यय के घटक					
स्थानीय निकायों को वैधानिक अंतरण	4,903.07	5,094.39	3,074.55	4,908.10	5,556.30
आरक्षित निधि में अंशदान	1,786.26	784.41	1,153.64	955.82	1,600.60
आकस्मिकता निधि की पुनर्प्राप्ति	0	0	900.00	0	0
ब्याज वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान जैसे कि उन्हें निवेश किया जा सकता था और लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान प्रप्रभारित व्यय के रूप में करना	10.23	54.05	51.10	1.33	0.06
कुल	6,699.56	5,932.85	5,179.29	5,865.25	7,157.36
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में	9.87	8.78	6.63	6.58	7.06
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में	7.90	6.60	5.26	5.51	6.32
सब्सिडी	8,105	7,650	9,535	9,360	10,718
गैर-प्रतिबद्ध व्यय की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	21.29	18.88	21.09	19.71	21.34

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

⁶ इसमें ₹ 710 करोड़ की मजदूरी शामिल है।

तालिका 2.19 दर्शाती है कि 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय में गैर-प्रतिबद्ध व्यय की प्रतिशतता 44.36 प्रतिशत और 45.93 प्रतिशत के मध्य थी, जिसमें उसी अवधि के लिए सब्सिडी का प्रमुख अनुपात 18.88 प्रतिशत और 21.34 प्रतिशत के मध्य था।



वेतन (मजदूरी को छोड़कर), ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर किया गया कुल व्यय (₹ 62,270 करोड़), सरकार द्वारा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 62,851 करोड़) में किए गए अनुमानों से ₹ 581 करोड़ (0.92 प्रतिशत) कम था तथा इन मदों पर राजस्व प्राप्तियों का 61.46 प्रतिशत खर्च हुआ था।

वेतन एवं मजदूरी

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय (₹ 27,878 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 26,409 करोड़) की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान 5.56 प्रतिशत बढ़ गया तथा राजस्व व्यय का 24.63 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों का 27.52 प्रतिशत संघटित किया। वेतन पर व्यय (₹ 27,168 करोड़) मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में राज्य सरकार के अनुमान (₹ 28,601 करोड़) से ₹ 1,433 करोड़ कम था और राजस्व प्राप्तियों का 26.82 प्रतिशत खर्च किया गया।

ब्याज भुगतान

वर्ष 2023-24 के दौरान, ब्याज भुगतान ₹ 21,605 करोड़ (राजस्व व्यय का 19.09 प्रतिशत) था। बाजार उधार पर ब्याज (₹ 16,913.90 करोड़), उदय बांड (₹ 1,346.76 करोड़), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण (₹ 364.81 करोड़) और केंद्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹ 610.19 करोड़) ब्याज भुगतान का प्रमुख घटक बनी रही। ब्याज भुगतान (₹ 21,605 करोड़) मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में राज्य सरकार के अनुमान (₹ 21,250 करोड़) से ₹ 355 करोड़ कम था और राजस्व प्राप्तियों का 21.32 प्रतिशत खर्च किया गया।

पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार के पेंशनरों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय ₹ 13,497 करोड़ था और राजस्व व्यय का 11.92 प्रतिशत संघटित किया। पेंशन भुगतान राज्य सरकार के अनुमान से बजट में ₹ 497 करोड़ और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में ₹ 13,000 करोड़ अधिक था तथा राजस्व प्राप्तियों का 13.32 प्रतिशत उपभोग किया।

2019-20 से 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में वेतन एवं मजदूरी, ब्याज तथा पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय 55.14 प्रतिशत से बढ़कर 55.64 प्रतिशत हो गया और 2023-24 में राजस्व प्राप्तियों का 62.16 प्रतिशत उपभोग किया।

अपरिवर्तनीय व्यय

अपरिवर्तनीय व्यय के घटकों में स्थानीय निकायों को वैधानिक अंतरण और आरक्षित निधि में अंशदान शामिल है, जिसमें 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान कमी की प्रवृत्ति देखी गई, किंतु उसके बाद यह 2022-23 में ₹ 5,865.25 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 7,156.96 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में, अपरिवर्तनीय व्यय 2019-20 में 7.90 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 6.32 प्रतिशत रह गया।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अमुक्त देयताएं

1 जनवरी 2006 को या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी 'परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना' नामक नई पेंशन योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना के अनुसार कर्मचारी मासिक वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ते) का 10 प्रतिशत अंशदान देता है और राज्य सरकार को 14 प्रतिशत की दर से मासिक अंशदान करना होता है। पूरी राशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (ने.सि.डि.लि.) के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को अंतरित की जाती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान पेंशन योजना में कुल अंशदान ₹ 2,821.55 करोड़ (कर्मचारी का अंशदान ₹ 1,157.10 करोड़ और सरकार का अंशदान ₹ 1,664.45 करोड़) था, जिसे मुख्य शीर्ष 8342 - अन्य जमा, 117 - परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत सार्वजनिक खाते में अंतरित किया गया। सार्वजनिक खाते में अंतरित/जमा की गई कुल राशि में से ₹ 26.59 करोड़ सार्वजनिक खाते में ही रहे और उन्हें नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड में अंतरित नहीं किया गया।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार कोई भी अंशदान खाता शीर्ष '8342-117' अन्य जमा - परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अस्थाई उपाय के रूप में भी नहीं रखा जाना है। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 26.59 करोड़ की राशि उपर्युक्त मुख्य शीर्ष के अंतर्गत 31 मार्च 2024 तक रखी गई थी जैसाकि **तालिका 2.20** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान और निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	कर्मचारी अंशदान	राज्य सरकार द्वारा अंशदान	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति	ने.सि.डि.लि. को कुल अंतरण	कम अंतरण (+)/ अधिक अंतरण (-)
	1	2	3	4 = (2+3)	5	6 = (1+4)-5
2008-09 ⁷	0.02	0.02	0	0.02	0	0.04
2009-10	0.04	28.88	9.18	38.06	23.91	14.19
2010-11	14.19	78.29	37.07	115.36	101.13	28.42
2011-12	28.42	104.35	67.64	171.99	183.00	17.41
2012-13	17.41	163.58	98.76	262.34	302.80	(-) 23.05
2013-14	(-) 23.05	240.47	143.25	383.72	421.26	(-) 60.59
2014-15	(-) 60.59	314.54	283.69	598.23	529.53	8.11
2015-16	8.11	328.94	278.83	607.77	596.45	19.43
2016-17	19.43	382.15	378.04	760.19	729.70	49.92
2017-18	49.92	479.94	460.44	940.38	975.76	14.54
2018-19	14.54	565.88	534.30	1,100.18	1,086.16	28.56
2019-20	28.56	717.91	694.20	1,412.11	1,407.78	32.89
2020-21	32.89	778.53	766.83	1,545.36	1,535.18	43.07
2021-22	43.07	875.35	939.66	1,815.01	1,839.41	18.67
2022-23	18.67	1,004.06	1,321.09	2,325.15	2,343.02	0.80
2023-24	0.80	1,157.10	1,664.45	2,821.55	2,795.76	26.59

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य सरकार को कारणों की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए कि कर्मचारियों का अंशदान और उसके समान सरकारी अंशदान पूर्ण रूप से समय पर नेशनल सिन्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को अंतरित कर दिया जाए।

आगे, राज्य सरकार नई पेंशन योजना की शेष राशि के विलंबित अंतरण पर सामान्य भविष्य निधि ग्राहकों के लिए लागू ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत पड़ी ₹ 0.06 करोड़ की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान न करने के कारण राजस्व और राजकोषीय घाटे को उस सीमा तक कम बताया गया था।

2.4.2.4 सब्सिडी

सब्सिडी पर व्यय 2019-20 में ₹ 8,105 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹ 7,650 करोड़ रह गया और उसके बाद 2023-24 में बढ़कर ₹ 10,718 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 10.58 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 9.47 प्रतिशत था जैसा कि तालिका 2.21 में विवरण दिया गया है। विद्युत: ₹ 7,947 करोड़ (74.15 प्रतिशत), कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों: ₹ 2,236 करोड़ (20.86 प्रतिशत), उद्योग और खनिज: ₹ 436 करोड़ (4.07 प्रतिशत) तथा सामाजिक सेवाएं: ₹ 99 करोड़ (0.92 प्रतिशत) पर सब्सिडी वितरित की गई। घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले टैरिफ के लिए सब्सिडी सहित ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ₹ 7,080 करोड़ की कुल सब्सिडी मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 7,150 करोड़) के अनुमान से कम थी।

⁷ 2008-09 से पहले के आंकड़े हजारों में हैं जिन्हें करोड़ में बदलने के बाद तालिका में दर्शाना संभव नहीं है। इसलिए, नई पेंशन योजना के आंकड़े 2008-09 से तालिका में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.21: 2019-24 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	8,105	7,650	9,535	9,360	10,718
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	11.94	11.32	12.21	10.49	10.58
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	9.55	8.51	9.69	8.80	9.47

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.4.2.5 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

तालिका 2.22: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
(क) स्थानीय निकाय					
शहरी स्थानीय निकाय	2,279.46	2,766.64	3,472.10	2,542.27	2,491.07
पंचायती राज संस्थाएं	3,098.12	3,235.92	954.97	1,357.53	3,062.72
कुल (क)	5,377.58	6,002.56	4,427.07	3,899.80	5,553.79
(ख) अन्य					
विश्वविद्यालय	2,496.64	2,468.29	2,632.82	2,706.57	24.62
विकास प्राधिकरण	812.88	1,104.22	1,072.47	802.91	483.50
सांविधिक निगम	1,745.08	2,107.65	1,686.01	0.00	203.17
अन्य	905.17	1,329.75	2,627.44	4,264.19	5,874.01
कुल (ख)	5,959.77	7,009.91	8,018.74	7,773.67	6,585.30
कुल (क+ख)	11,337.35	13,012.47	12,445.81	11,673.47	12,139.09
पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान	4,863.28	5,709.07	4,145.71	3,780.18	4,499.30
पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य के लिए सहायता अनुदान	6,474.07	7,303.40	8,300.10	7,893.29	7,639.79
हितकर के रूप में दिया गया सहायता अनुदान	50.06	42.99	52.62	49.48	75.42
राजस्व व्यय	84,848	89,946	98,425	106,406	1,13,196
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	13.36	14.47	12.64	10.97	10.72

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2019-20 में ₹11,337.35 करोड़ से 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय का 10.72 प्रतिशत संघटित करते हुए बढ़कर ₹ 12,139.09 करोड़ हो गई। इसमें गत वर्ष की तुलना में ₹ 465.62 करोड़ (3.99 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी करने में वृद्धि के कारण हुई।

पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान में 2019-21 की अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई और 2021-23 के दौरान इसमें कमी आई और उसके बाद 2023-24 के दौरान वृद्धि हुई। पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के अलावा अन्य सहायता अनुदान में भी 2019-22 की अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई हालांकि, 2022-24 की अवधि के दौरान इसमें कमी आई। 2019-24 की अवधि के दौरान कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता 32.38 प्रतिशत और 43.87 प्रतिशत के मध्य थी, जबकि कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के अलावा अन्य के लिए वित्तीय सहायता 56.13 प्रतिशत और 67.62 प्रतिशत के मध्य थी।

जिन योजनाओं को बड़ी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई उन्हें तालिका 2.23 में दर्शाया गया है।

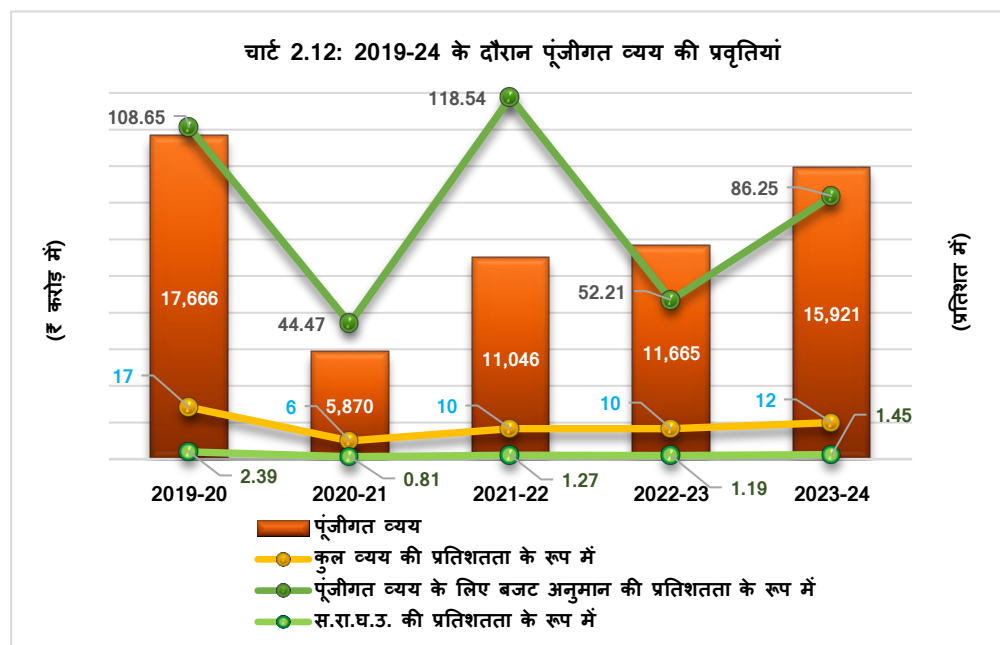
तालिका 2.23: वे योजनाएं जिन्हें वर्ष 2023-24 के दौरान बड़ी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई

योजना	राशि (₹ करोड़ में)
सहायता प्राप्त गैर-सरकारी महाविद्यालयों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत	300.00
गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान	520.00
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य अंश के रूप में सहायता अनुदान	740.96
ग्रामीण अस्पताल और डिस्पेंसरी को जारी रखते हुए इसका नाम बदलकर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कर दिया गया	280.35
महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन, अग्रोहा	115.00
आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन	99.00
नया शहरी नवीकरण मिशन (अमृत)	234.43
राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर पालिका को सहायता अनुदान	1,102.00
राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत शहरी अवसंरचना के विकास की योजना	312.12
हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और हरको बैंक को वसूली से जुड़े प्रोत्साहन के लिए एकबारगी निपटान योजना	400.00
राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,157.99
करनाल स्मार्ट सिटी	196.00
फरीदाबाद स्मार्ट सिटी	196.00
प्रधानमंत्री आवास योजना	298.85
केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर ग्राम पंचायत को संयुक्त अनुदान	570.11
14वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर ग्राम पंचायत को सहायता अनुदान	580.38
राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जाति ग्राम पंचायत को वित्तीय सहायता	505.83

स्रोत: वित्त लेखे

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से स्थायी अवसंरचना परिसंपत्तियों जैसे कि सड़कों, भवनों आदि के सृजन पर किया गया व्यय है। पूंजीगत व्यय और कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत व्यय का विवरण चार्ट 2.12 में दर्शाया गया है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान, पूंजीगत व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.81 प्रतिशत से 2.39 प्रतिशत के मध्य रहा। वर्ष 2023-24 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय ₹ 18,460 करोड़ के बजट अनुमानों के विरुद्ध ₹15,921 करोड़ (86.25 प्रतिशत) रहा।

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तन

₹ 15,920.94 करोड़ का पूंजीगत व्यय जिसमें सामाजिक सेवाओं पर ₹ 4,437.93 करोड़, आर्थिक सेवाओं पर ₹ 10,842.39 करोड़ और सामान्य सेवाओं पर ₹ 640.61 शामिल थे। वर्ष 2023-24 में ₹ 4,255.99 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति, जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास, सूचना एवं प्रसारण, खाद्य भंडारण एवं गोदाम, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण और विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुई। 2023-24 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और परिवहन पर पूंजीगत व्यय में ₹ 1,263.46 करोड़ की बड़ी कमी आई थी जैसा कि **तालिका 2.24** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.24: 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय में बदलाव

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2022-23	2023-24	वृद्धि (+)/कमी (-)
पूंजीगत परिव्यय	11,664.95	15,920.94	4,255.99
सामान्य सेवाएं	552.80	640.61	87.81
सामाजिक सेवाएं	3,755.82	4,437.93	682.11
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	389.03	574.52	185.49
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,381.89	1,154.36	(-) 227.53
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	1,848.20	2,589.44	741.24
सूचना एवं प्रसारण	22.22	60.49	38.27
आर्थिक सेवाएं	7,356.33	10,842.40	3,486.07
खाद्य भंडारण एवं गोदाम	-240.52	2,880.15	3,120.67
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	407.27	1,232.16	824.89
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,171.19	2,623.65	452.46
विद्युत	8.00	234.04	226.04
परिवहन	4,391.39	3,355.46	(-) 1,035.93

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.4.3.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

यदि राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों, जिनका निवल मूल्य पूरी तरह से खत्म हो गया है, में निवेश करती रहेगी तो निवेश पर रिटर्न की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार, अनुभव से पता चला है कि घाटे में चल रहे निगमों और चीनी मिलों, वित्तीय निगमों आदि जैसे अन्य निकायों को दिए गए ऋणों को माफ करने की अनिवार्यता है। ऐसे वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाने चाहिए। यह भाग वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूंजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

(i) निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2024 तक सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारिताओं में ₹ 38,278.21 करोड़ निवेशित थे (**तालिका 2.25**)। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.92 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2019-24 के दौरान अपने उधारों पर 7.20 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर भुगतान किया।

तालिका 2.25: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	36,922.92	37,566.55	37,865.68	38,020.05	38,278.21
निवेश पर प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)*	87.01	163.14	1,007.59	192.00	289.79
निवेश पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)*	0.24	0.43	2.66	0.50	0.76
सरकारी उधारों पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.31	6.50	7.05	6.72	7.42
ब्याज दर और प्रतिलाभ के मध्य अंतर (प्रतिशत)	(-) 8.07	(-) 6.07	(-) 4.39	(-) 6.22	(-) 6.66
सरकारी उधारों पर ब्याज और निवेश पर प्रतिलाभ में अंतर (₹ करोड़ में)#	(-) 2,979.68	(-) 2,280.29	(-) 1,662.30	(-) 2,364.85	(-) 2,549.33

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे (विवरण संख्या 19)

* ऐतिहासिक लागत पर

(वर्ष के अंत में निवेश X ब्याज दर और प्रतिलाभ के मध्य अंतर)/100

₹ 38,278.21 करोड़ के कुल निवेश में से ₹ 36,270 करोड़ (94.75 प्रतिशत) का निवेश चार विद्युत क्षेत्र की कंपनियों में किया गया था। राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश करती रहती है।

(ii) कंपनियों के लेखों के साथ सरकारी निवेशों का मिलान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में इक्विटी के रूप में सरकारी निवेश का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आंकड़ों से मिलान होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों और वित्त लेखों में अंतर का पता लगाने के लिए आंकड़ों का मिलान आवश्यक है। वित्त लेखों के अनुसार, सरकार ने 2023-24 में ₹ 38,278.21 करोड़ की इक्विटी में निवेश किया था। लेखों की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 38,278.21 करोड़ की इक्विटी में निवेश में से सार्वजनिक क्षेत्र के 27 उपक्रमों की इक्विटी में सरकारी निवेश ₹ 30,070.88 करोड़ था जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार यह ₹ 37,332.78 करोड़ था। **परिशिष्ट 2.4** में वर्णित अनुसार ₹ 7,261.90 करोड़ का अंतर था। अंतरों का पता लगाने के लिए समयबद्ध तरीके से मिलान किया जाना चाहिए।

(iii) सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता

अवसंरचना में पर्याप्त विकास करने के विचार से सामाजिक और भौतिक, जो आर्थिक उन्नति बनाए रखने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है, राज्य सरकार ने अवसंरचना के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (सा.नि.भा.) माध्यम को अपनाया।

31 मार्च 2024 तक, ₹ 1,869 करोड़ की कुल अनुमानित लागत वाली पांच सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की स्थिति **परिशिष्ट 2.5** में दर्शाई गई है।

(iv) राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त सरकार द्वारा अनेक संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान किए गए थे। **तालिका 2.26** 31 मार्च 2024 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों और पिछले पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.26: पांच वर्षों के दौरान ऋणों की संवितरित एवं वसूली की गई मात्रा

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	11,474	7,390	7,884	8,350	10,574
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	1,309	926	966	2462	4,055
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	5,393	432	500	238	301
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	7,390	7,884	8,350	10,574	14,328
निवल जोड़	(-) 4,084	494	466	2,224	3,754
प्राप्त ब्याज	398	92	106	75	182
सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज दर	4.22	1.20	1.31	0.79	1.46
सरकार की बकाया उधारी पर भुगतान की गई ब्याज दर	7.80	7.46	7.08	6.92	6.72
भुगतान की गई ब्याज दर और प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर (प्रतिशत)	3.58	6.26	5.77	6.13	5.26

शिक्षा विभाग (₹ 1,202.45 करोड़), चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (₹ 765.69 करोड़), कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (₹ 1,186.19 करोड़), सहकारी चीनी मिलों (₹ 216 करोड़) और हरियाणा रेल अवसंरचना विकास (₹ 584.38 करोड़) को अधिक ऋण के कारण 31 मार्च 2024 तक बकाया ऋण एवं अग्रिमों में 35.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध 31 मार्च 2023 तक ₹ 5,167.26 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 216 करोड़ वितरित किए। 2023-24 के दौरान इन ऋणों के विरुद्ध कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। 2023-24 के अंत में इन सहकारी चीनी मिलों पर ₹ 5,383.26 करोड़ का ऋण बकाया था। सरकार ने इन चीनी मिलों को इन नियमों एवं शर्तों के साथ ऋण संवितरित किए कि ऋणों को पांच वर्षों में समान किस्तों में 8.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर के साथ चुकाया जाएगा। वर्ष 2023-24 के दौरान ऋणों के मूलधन और ब्याज की कोई वसूली नहीं हुई, जो इन सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध बकाया ऋणों की वसूली के लिए राज्य सरकार के अपर्याप्त प्रयासों का परिचायक था।

ऋण से संबंधित विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय सहायता/सहायता अनुदान के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों (अनुदान प्राप्तकर्ता) को ₹ 2,746.14 करोड़⁸ की राशि के ऋण संस्वीकृत एवं संवितरित किए गए।

इन मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय सहायता के रूप में दी गई राशि को मुख्य शीर्ष 6202, 6210, 6401, 6403 और 6416 में चार्ज/डेबिट किया गया है, जो कि लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी मुख्य और लघु शीर्ष की सूची के अनुसार ऋण शीर्ष से संबंधित है। इसके अलावा, स्वीकृतियों की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि मूलधन और ब्याज की वसूली से संबंधित नियमों एवं शर्तों के बिना इन्हें ऋण नहीं माना जा सकता। यह सरकारी लेखांकन नियमों का उल्लंघन था और इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय को बढ़ा-चढ़ाकर तथा राजस्व व्यय को कम करके दिखाया गया।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी.) के विरुद्ध वर्ष 2023-24 के आरंभ में ₹ 1,108.87 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। आगे, इस बैंक को

⁸ उच्च शिक्षा विभाग (₹ 1,155.91 करोड़), चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग (₹ 728.20 करोड़), कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग (₹ 46.53 करोड़), पशुपालन एवं डेयरी विभाग (₹ 137.96 करोड़), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (₹ 640.04 करोड़) तथा स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग (₹ 37.50 करोड़)।

₹ 32 करोड़ का ऋण इस शर्त पर दिया गया था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार को ब्याज सहित ऋण चुकाने में कोई चूक न हो। वर्ष के दौरान कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2024 के अंत तक बकाया राशि ₹ 1,140.87 करोड़ हो गई। इस प्रकार, 2023-24 के दौरान ऋण स्वीकृत किए गए, भले ही पिछले वर्षों के ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक हुई थी।

2023-24 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 181.60 करोड़ (बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का 1.46 प्रतिशत) का ब्याज प्राप्त हुआ।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने इस मामले की जांच करने का आश्वासन दिया।

(v) अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी में प्रवृत्तियों का आकलन भी पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करेगा। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लंबे समय तक वांछित लाभ से वंचित करता है। आगे, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई निधियां ऋण एवं ब्याज देयताओं की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ डालती हैं।

31 मार्च 2024 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना **तालिका 2.27** में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत केवल वे परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि 31 मार्च 2024 तक समाप्त हो चुकी थी।

तालिका 2.27: 31 मार्च 2024 को अधूरी परियोजनाओं की विभागवार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	व्यय (₹ करोड़ में)
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	17	212.81	91.04
कुल	17	212.81	91.04

स्रोत: वित्त लेखे

इन परियोजनाओं के पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि मई 2020 और मार्च 2024 के मध्य थी, परन्तु ये परियोजनाएं 31 मार्च 2024 तक अपूर्ण थी, परिणामस्वरूप ₹ 91.04 करोड़ के निवेश से वांछित लाभों की प्राप्ति नहीं हुई।

2.4.4 व्यय प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। कम राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अंतर्गत कुल व्यय के लिए व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है, यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से नीचे है। कुल व्यय में इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता को भी उतना ही बेहतर माना जाएगा। 2023-24 के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण **तालिका 2.28** में किया गया है।

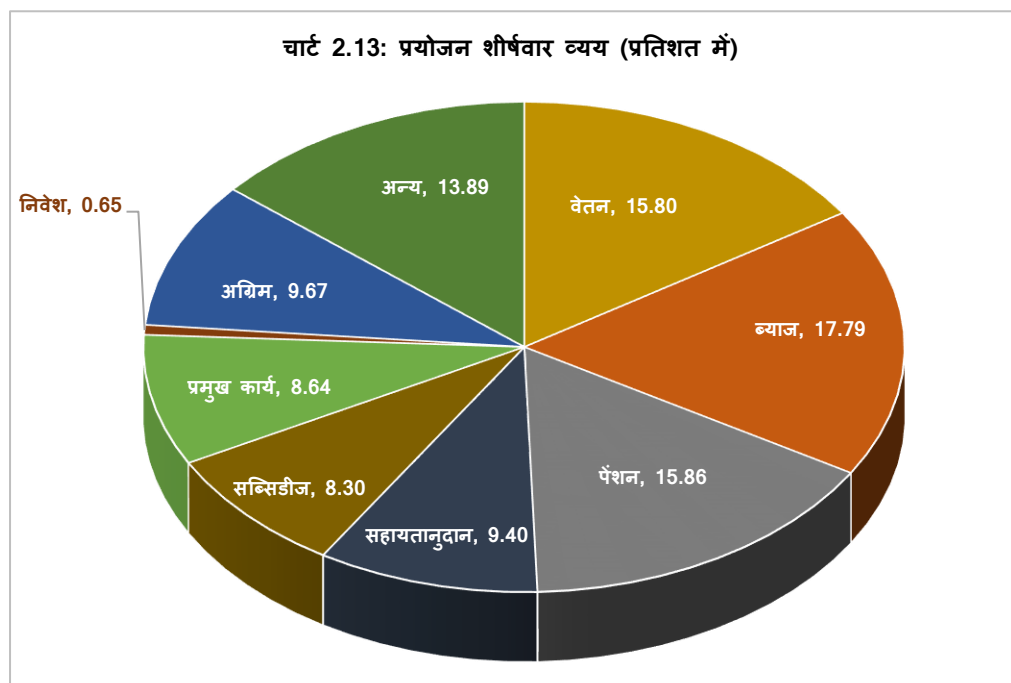
तालिका 2.28: स्वास्थ्य, शिक्षा और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	शिक्षा/कुल व्यय	स्वास्थ्य/कुल व्यय
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2019-20	14.07	18.28	13.96	4.80
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य (सा.श्रे.रा.) औसत (अनुपात) 2019-20	15.88	14.02	15.79	5.25
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2023-24	12.16	15.00	13.64	6.01
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य (अनुपात) 2023-24	15.66	16.50	14.36	5.71
कु.व्य: कुल व्यय, पूं.व्य: पूंजीगत व्यय, सा.श्रे.रा.: सामान्य श्रेणी राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा				

हरियाणा में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल व्यय 2019-20 के साथ-साथ 2023-24 में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के औसत के अलावा अन्य राज्यों की तुलना में कम था। 2019-20 के दौरान हरियाणा में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात अन्य राज्यों के औसत से अधिक था, लेकिन 2023-24 में इसमें काफी गिरावट आई है। 2019-20 के दौरान और साथ ही 2023-24 में शिक्षा पर व्यय का अनुपात पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के औसत के अलावा अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में कम था। 2019-20 के दौरान पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के औसत के अलावा अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में स्वास्थ्य पर व्यय का अनुपात कम था किंतु 2023-24 में अधिक था।

2.4.5 प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय

वर्ष 2023-24 के लिए प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय, व्यय के प्रयोजन/उद्देश्य के बारे में जानकारी चार्ट 2.13 में दर्शाई गई है।



नोट: वाउचर लेवल कम्प्यूटराइजेशन (वी.एल.सी.) से प्राप्त प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय में सभी प्रमुख शीर्षों में वेतन, ब्याज और पेंशन पर प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय होता है जो इन मदों पर प्रतिबद्ध व्यय से भिन्न होता है (जैसा कि पैरा 2.4.2.2 में दर्शाया गया है)।

2.5 लोक लेखा

कुछ प्राप्तियां एवं संवितरण, जो समेकित निधि का अंश नहीं होते, जैसे कि लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, उंचंत, प्रेषण इत्यादि को भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है तथा ये राज्य विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। इनके संबंध में सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न प्रयोजनों हेतु उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध रहती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

लोक लेखा के विभिन्न खंडों के अंतर्गत घटक-वार निवल शेष **तालिका 2.29** और **चार्ट 2.14** में दिए गए हैं।

तालिका 2.29: 31 मार्च 2024 को लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

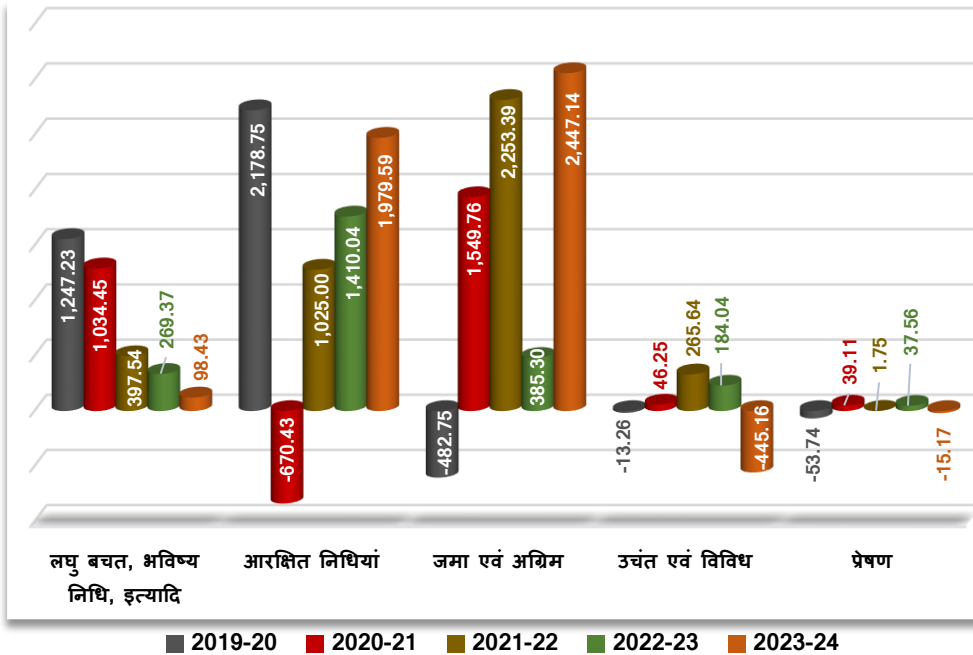
(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आई. लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	16,962.46	17,996.91	18,394.45	18,663.82	18,762.25
जे. आरक्षित निधियां	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	4,962.35	5,476.92	5,756.67	6,554.17	7,905.52
	(ख) गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां	3,532.00	2,347.00	3,092.25	3,704.79	4,333.03
	कुल	8,494.35	7,823.92	8,848.92	10,258.96	12,238.55
के. जमा और अग्रिम	(क) ब्याज वाले जमा	421.76	451.94	443.53	442.63	486.14
	(ख) गैर-ब्याज वाले जमा	7,500.04	9,019.62	11,281.42	11,667.62	14,071.25
	(ग) अग्रिम	(-) 0.74	(-) 0.74	(-) 0.74	(-) 0.74	(-) 0.74
	कुल	7,921.06	9,470.82	11,724.21	12,109.51	14,556.65
एल. उंचंत तथा विविध ⁹	उंचंत तथा विविध	(-) 70.49	(-) 24.24	241.40	425.44	(-) 19.72
एम. प्रेषण	(क) मनी ऑर्डर और अन्य प्रेषण	306.84	330.58	333.65	370.71	354.85
	(ख) अंतर-राजकीय समायोजन लेखा	(-) 33.10	(-) 17.73	(-) 19.05	(-) 18.55	(-) 17.86
	कुल	273.74	312.85	314.60	352.16	336.99
कुल योग		30,704.89	33,581.12	35,580.26	39,523.58	45,874.72

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

⁹ नकद शेष निवेश खाते के आंकड़ों को छोड़कर।

चार्ट 2.14: लोक लेखा शेषों के संघटन में वार्षिक परिवर्तन
(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 में निवल लोक लेखा शेष में पिछले वर्ष की तुलना में 9.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 98.43 करोड़), जमा (₹ 2,447.14 करोड़), आरक्षित निधि (₹ 1,979.59 करोड़) में वृद्धि थी, जिसकी आंशिक भरपाई उचित एवं विविध (₹ 445.16 करोड़) और प्रेषण (₹ 15.17 करोड़) में कमी से हुई।

2.5.2 आरक्षित निधियां

राज्य सरकार के लोक लेखे के अंतर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधि बनाई जाती है। ये निधियां समेकित निधि या बाहरी एजेंसियों के अंशदान या अनुदान से पूरी की जाती हैं। इनमें ब्याज वाली आरक्षित निधियां और गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां शामिल हैं।

वित्त लेखों की विवरणी 21 और 22 में आरक्षित निधियों का विवरण उपलब्ध है। 31 मार्च 2024 तक 11 आरक्षित निधियां (पांच ब्याज वाली आरक्षित निधियां और छः गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां) रखी गई थी। ब्याज वाली आरक्षित निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान, यदि इसे निवेश न किया जाए, सरकार द्वारा किया जाता है जबकि गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियों के संबंध में शेष राशि का निवेश भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के केंद्रीय लेखा अनुभाग के प्रशासन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों/खजाना बिलों में किया जाता है। 31 मार्च 2024 को विभिन्न आरक्षित निधियों (ब्याज वाली और गैर-ब्याज वाली) में पड़े निधि शेष **तालिका 2.30** में दिए गए हैं।

तालिका 2.30: आरक्षित निधि के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2024 को शेष
क	ब्याज वाली आरक्षित निधियां	7,905.52
1	मूल्यहास आरक्षित निधि - सरकारी वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम	581.59
2	मूल्यहास आरक्षित निधि - सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम	21.15
3	सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	5.72
4	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	5,737.22
5	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि	1,559.84
ख	गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां	4,333.03
1	ऋणशोधन निधि	2,124.41
2	खदान कल्याण निधि	539.83
3	विकास योजनाओं के लिए निधि	1.41
4	हरिजन उत्थान हेतु ग्राम पुनर्निर्माण के लिए निधि	2.29
5	गारंटी मोचन निधि	1,662.80
6	उपभोक्ता कल्याण निधि	2.29
	कुल योग	12,238.55

उपर्युक्त में से, गैर-ब्याज वाली दो आरक्षित निधियां, अर्थात् विकास योजनाओं के लिए निधि और हरिजन उत्थान के लिए ग्राम पुनर्निर्माण हेतु निधि छः वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय हैं। राज्य सरकार को अभी इन निष्क्रिय आरक्षित निधियों को बंद करना है और राज्य की समेकित निधि में उनके शेष को अंतरित करना है।

2.5.2.1 समेकित ऋणशोधन निधि

राज्य सरकार ने 2002 में ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित ऋणशोधन निधि (स.ऋ.नि.) का गठन किया। निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार को पिछले वर्ष के अंत में अपनी बकाया देयताओं (आंतरिक ऋण जमा लोक लेखा) का 0.5 प्रतिशत समेकित ऋणशोधन निधि में अंशदान देना अपेक्षित था।

चालू वर्ष के आरंभ में निधि में ₹ 1,694.47 करोड़ का प्रारंभिक शेष था। 31 मार्च 2023 तक, राज्य की बकाया देयताएं ₹ 2,90,578.32 करोड़ (आंतरिक ऋण और लोक लेखा) थीं। तदनुसार, राज्य सरकार को 2023-24 के दौरान न्यूनतम ₹ 1,452.89 करोड़ (0.50 प्रतिशत) का अंशदान देना अपेक्षित था, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने निधि में ₹ 300 करोड़ का अंशदान दिया था, जिसे निवेश किया गया था और ₹ 129.94 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया था। परिणामस्वरूप, चालू वर्ष के अंत में ₹ 2,122.41 करोड़ का शेष था।

2.5.2.2 राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि

पंद्रहवें वित्त आयोग (15वें वित्त आयोग) ने राज्य स्तर पर राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) के निर्माण की सिफारिश की, जिसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएमएफ) और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) शामिल होंगे। राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के लिए कुल राज्य आवंटन को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में विभाजित किया जाएगा, जिससे आपदा प्रबंधन आवश्यकताओं के पूर्ण चक्र - प्रतिक्रिया एवं राहत, पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण, तैयारी एवं क्षमता निर्माण और शमन

का पता लगाने की परिकल्पना की गई है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को कुल राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि का 80 प्रतिशत प्राप्त होगा, जबकि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि को आबंटन का 20 प्रतिशत मिलेगा।

(i) राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) से बदल दिया। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (सितंबर 2010 और जुलाई 2015) के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र और राज्य 75:25 के अनुपात में निधि में अंशदान दे रहे थे। अंशदान को लोक लेखे के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-8121 में अंतरित किया जाना है। वर्ष के दौरान व्यय मुख्य शीर्ष-2245 के संचालन द्वारा किया जाता है।

राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को ब्याज का भुगतान करेगी। ब्याज छ:माही आधार पर जमा किया जाएगा। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के निवेश पर अर्जित आय के साथ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की अभिवृद्धि, जब तक भारत सरकार द्वारा विपरीत निर्देश जारी नहीं किए जाते, तब तक केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किए गए खजाना बिलों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास ब्याज अर्जित करने वाली जमाराशियों और जमाराशियों के प्रमाण-पत्रों में निवेश किया जाएगा।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग केवल आपदा के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए तथा आपदा तैयारी, बहाली, पुनर्निर्माण और शमन का प्रावधान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस तरह के व्यय को सामान्य बजटीय शीर्ष/राज्य योजना निधि आदि में शामिल किया जाना चाहिए।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में ₹ 4,966.68 करोड़ का प्रारंभिक शेष था। 2023-24 के दौरान केंद्र सरकार ने ₹ 433.60 करोड़ जारी किए। भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 433.60 करोड़ की तुलना में राज्य का अंश ₹ 144 करोड़ था। राज्य सरकार ने निधि में ₹ 1,118.10 करोड़ की राशि अंतरित की जिसमें केंद्रीय अंशदान के ₹ 433.60 करोड़, राज्य अंशदान के ₹ 144 करोड़, ₹ 132.50 करोड़ की अव्ययित शेष राशि और ₹ 408 करोड़ के ब्याज शामिल हैं। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 377.56 करोड़ का व्यय किया गया था। 31 मार्च 2024 को निधि में ₹ 5,737.22 करोड़ का अंतिम शेष था।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। **तालिका 2.31** में दिए गए विवरण के अनुसार, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को ₹ 377.56 करोड़ का व्यय प्रभारित किया गया था।

तालिका 2.31: राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को प्रभारित व्यय का विवरण

मुख्य लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	2023-24 के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 02-बाढ़, चक्रवात आदि	101-निःशुल्क राहत	276.41
	102- पेयजल आपूर्ति	0.04
	104- चारे की आपूर्ति	0.10
	111-पीड़ित परिवारों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान	2.68
	113-घरों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता	5.16
	117-पशुधन की खरीद के लिए किसानों को सहायता	0.64
	122-क्षतिग्रस्त सिंचाई एवं बाढ़ की मरम्मत एवं पुनरुद्धार	0.48
	282-जन स्वास्थ्य	2.01
	800-अन्य	6.93
	उप-कुल	294.45
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 80-सामान्य	800-अन्य व्यय	269.28
	उप-कुल	269.28
	कुल योग	563.73
05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	901- कटीती - राज्य आपदा से मिली राशि	377.56

(ii) राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ)

राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के अंतर्गत किया जाना है। यह निधि विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ)/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) दिशानिर्देशों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदाओं के अंतर्गत आने वाली आपदा के संबंध में शमन परियोजना के उद्देश्य से है। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2024 तक मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि, 130-राज्य आपदा शमन निधि के अंतर्गत राज्य आपदा शमन निधि नहीं बनाई है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को न तो केंद्र सरकार से कोई धनराशि प्राप्त हुई और न ही निधि में कोई राशि अंतरित की गई, क्योंकि निधि सृजित नहीं की गई है।

2.5.2.3 गारंटी मोचन निधि

राज्य सरकार ने गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) 2003 का गठन किया है, जिसका प्रशासन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्थानीय निकायों की ओर से जारी गारंटियों से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जारी निधि अधिसूचना में नवीनतम संशोधन, जो 2020-21 से प्रभावी है, यह निर्धारित करता है कि राज्य सरकार शुरू में न्यूनतम एक प्रतिशत का अंशदान देगी और उसके बाद अगले पांच वर्षों में तीन प्रतिशत का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष के अंत में बकाया गारंटी का 0.5 प्रतिशत की दर से अंशदान करेगी। इस निधि को धीरे-धीरे बढ़ाकर पांच प्रतिशत के वांछनीय स्तर तक लाया जाएगा। वर्ष के दौरान, सरकार ने निधि में कोई अंशदान नहीं दिया क्योंकि 31 मार्च 2024 तक निधि में कुल संचय ₹ 1,662.80 करोड़ (31 मार्च 2023 तक ₹ 1,540.86 करोड़) था, अर्थात् बकाया गारंटी (₹ 24,214.81 करोड़) का 6.87 प्रतिशत।

2.5.2.4 खदान एवं खनिज विकास, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास निधि

इस निधि की स्थापना (जुलाई 2015) राज्य में खनन क्षेत्र के पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास, सुरक्षा, संरक्षण, राज्य के खनन स्थलों के पुनर्वास एवं पुनरुद्धार के साथ-साथ क्षेत्र की पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के समग्र हित में अन्य संबंधित कार्यों के लिए की गई थी। यद्यपि निधि को 'ब्याज रहित आरक्षित निधि' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इस पर छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय रहता है।

निधि के संविधान के अनुसार, राज्य को भुगतान की गई 'डेड रेंट/रॉयल्टी/संविदा धन' के 10 प्रतिशत (अधिसूचना मई 2021 द्वारा 7.5 प्रतिशत तक संशोधित) के बराबर राशि को पुनर्स्थापना और पुनर्वास कार्यों के लिए 'अन्य प्रभारों' के तौर पर खनिज रियायत धारकों से प्रप्रभारित किया जाना और निधि में जमा किया जाना है। इसके साथ ही, एक वित्तीय वर्ष में 'डेड रेंट/रॉयल्टी/संविदा धन' के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि के पांच प्रतिशत (अधिसूचना मई 2021 द्वारा 2.5 प्रतिशत तक संशोधित) के बराबर राशि को निधि में सरकारी अंशदान के रूप में जमा/अंतरित किया जाना है।

1 अप्रैल 2023 तक निधि का प्रारंभिक शेष ₹ 463.47 करोड़ था। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने डेड रेंट आदि के रूप में ₹ 636.35 करोड़ और रियायत धारकों से 'अन्य प्रभारों' के रूप में ₹ 43.31 करोड़ प्राप्त किए। ₹ 63.64 करोड़ की राशि (डेड रेंट का 7.5 प्रतिशत (₹ 47.73 करोड़) जमा ₹ 636.35 करोड़ के डेड रेंट का राज्य का अंश 2.5 प्रतिशत (₹ 15.91 करोड़)) का अंशदान निधि में किया जाना अपेक्षित था। तथापि, वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 57.20 करोड़ (रियायत धारकों का अंशदान: ₹ 42.80 करोड़ और राज्य का अंशदान: ₹ 14.40 करोड़) और ₹ 27.81 करोड़ के ब्याज का अंशदान दिया। इस प्रकार ₹ 6.44 करोड़ का कम अंशदान था। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 8.66 करोड़ का व्यय वहन किया गया था, जिससे 31 मार्च 2024 को निधि में ₹ 539.82 करोड़ का शेष रह गया।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए इस मामले की जांच करने का आश्वासन दिया।

2.5.2.5 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकारों को प्रतिपूरक वनरोपण करने के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त राशि के लिए राज्य के लोक लेखा में ब्याज वाले सेक्शन के अंतर्गत राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि (एससीएएफ) स्थापित करना अपेक्षित है। यद्यपि हरियाणा राज्य ने राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि का गठन किया है, लेकिन उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि सीधे राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राष्ट्रीय प्राधिकरण), नई दिल्ली में जमा की जाती है, जो समय-समय पर प्रतिपूरक वनरोपण निधि (राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि के अंतर्गत जमा) का 90 प्रतिशत राज्य हिस्सा राज्य सरकार को अंतरित करती है।

वर्ष के आरंभ में निधि के अंतर्गत शेष राशि ₹ 966.41 करोड़ थी। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण निधि का राज्य हिस्सा होने के कारण राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा से निधि में ₹ 615.38 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा ब्याज के रूप में ₹ 37.26 करोड़ की राशि जमा की गई। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 59.21 करोड़ का व्यय किया गया था। राज्य सरकार ने कोई निवेश नहीं किया है जबकि 31 मार्च 2024 तक निधि में ₹ 1,559.84 करोड़ की राशि शेष थी।

2.5.3 राज्य की समेकित निधि अथवा लोक लेखा से बाहर की निधियां

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन अनुच्छेद 266 (1) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व, खजाना बिल जारी करके सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों की वसूली में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि के रूप में शामिल होंगे जिसे "राज्य की समेकित निधि" कहा जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (2) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किए गए, जैसा भी मामला हो, सभी अन्य सार्वजनिक धन राज्य के लोक लेखा में जमा किए जाएंगे।

यह देखा गया है कि राज्य की समेकित निधि/लोक लेखा में जमा की जाने वाली निधियों को राज्य की समेकित निधि/लोक लेखा से बाहर रखा गया है जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

(i) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

राज्य सरकार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर एकत्र करती है। एकत्र किए गए उपकर को निर्माण श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2022 को बोर्ड के पास कुल उपलब्ध निधियां ₹ 3,546.84 करोड़ थी। वर्ष 2022-23 के दौरान कॉर्पस फंड में अंशदान/अतिरिक्त ₹ 472.45 करोड़ था और वर्ष के दौरान व्यय ₹ 179.61 करोड़¹⁰ (आय से अधिक) था। 31 मार्च 2023 को बोर्ड के पास ₹ 3,839.68 करोड़ की निधियां थी। वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखे अभी तक (दिसम्बर 2024) प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ii) हरियाणा ग्रामीण विकास निधि

राज्य सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके विपणन एवं बिक्री में सुधार के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास निधि

¹⁰ आय: ₹ 177.51 करोड़ - व्यय: ₹ 357.12 करोड़ = निवल व्यय: ₹ 179.61 करोड़।

प्रशासन बोर्ड का गठन किया। इस अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार, अधिसूचित बाजार क्षेत्र में खरीदे गए अथवा बेचे गए एवं प्रसंस्करण के लिए लाए गए कृषि उत्पाद के बिक्री मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से यथामूल्य आधार पर शुल्क (उपकर) लगाया जाता है। इस प्रकार एकत्रित राशि बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः सड़कों के विकास, डिस्पेंसरियों की स्थापना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता प्रबंधन तथा गोदामों के निर्माण के लिए खर्च की जाती है। वर्ष 2011-22 के दौरान निधि के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 6,541.35 करोड़ थी तथा ₹ 5,021.57 करोड़ का व्यय किया गया था। वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखों के अनुसार निधि के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 476.68 करोड़ थी और ₹ 244.66 करोड़ का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 2011-23 की अवधि के दौरान निधि के अंतर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 7,018.03 करोड़ और कुल व्यय ₹ 5,266.23 करोड़ था। वर्ष 2023-24 का वार्षिक लेखा अभी तक (सितंबर 2024) प्राप्त नहीं हुआ है।

(iii) हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड

राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य के लाभ के लिए अवसंरचना परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के संबंध में सरकार के प्रयासों का समन्वय करने के लिए हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों का विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3ए के अंतर्गत हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (एचआईडीबी) का गठन किया, जिसमें राज्य के बजट द्वारा प्रदान किए गए स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से निजी भागीदारी और वित्त पोषण शामिल है।

हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र नियमन अधिनियम, 1975 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कालोनाइजर को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर राज्य अवसंरचना विकास प्रभार जमा करवाना अपेक्षित है। कालोनाइजर द्वारा जमा की गई अवसंरचना प्रभारों की राशि निधि का गठन करेगी। निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा निधि का संग्रहण एवं प्रबंधन किया जाएगा तथा इसके आगे उपयोग के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित एचआईडीबी को अंतरित किया जाएगा। कालोनाइजरों द्वारा जमा करवाए गए राज्य अवसंरचना विकास प्रभारों और अवसंरचना वृद्धि प्रभारों की राशि, केंद्र/राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से ऋण एवं अनुदान या राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण एवं अनुदान और ऐसे स्रोत से कोई अन्य धन, जैसा कि राज्य सरकार निर्णय ले, निधि में जमा किया जाएगा। इस निधि का उपयोग हरियाणा राज्य के लाभ के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास और प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा। निधि का उपयोग निधि के प्रबंधन की लागत को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है। निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा राज्य सरकार की समेकित निधि/लोक लेखा के बाहर सीधे बैंक खाते में निधियां प्राप्त की जाती हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान एचआईडीबी की प्राप्ति ₹ 17.75 करोड़ थी तथा व्यय ₹ 5.30 करोड़ था। वर्ष 2022-23 के अंत में निधि का कुल कोष ₹ 2,551.03 करोड़ था। वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिया जाना शेष है (सितंबर 2024)।

(iv) हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड

शहरी अवसंरचना; नगर नियोजन कार्यान्वयन की तकनीकों के प्रावधान और उन्नयन हेतु संसाधन जुटाने; शहरी प्रबंधन में प्रशिक्षण सुविधाएं/मानव संसाधन विकास प्रदान करने और नगर पालिकाओं की अनुमोदित योजनाओं/परियोजनाओं के समन्वय, योजना एवं कार्यान्वयन के लिए हरियाणा म्युनिसिपल (एच.एम.) अधिनियम, 1973 में संशोधन करके हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (एचयूआईडीबी) का गठन (अप्रैल 2002) किया गया था।

हरियाणा म्युनिसिपल अधिनियम की धारा 203एल के अनुसार हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड ने एक निधि¹¹ का गठन किया जिसमें लाइसेंस फीस, संवीक्षा फीस, भूमि उपयोग परिवर्तन प्रभार, निजी डेवलपमेंट को लाइसेंस देने के लिए कंपोजीशन फीस और राज्य नगरपालिका अधिनियमों के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान, ऋण एवं वित्तीय सहायता तथा सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य फीस/प्रभार शामिल हैं।

एचयूआईडीबी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड की प्राप्तियां ₹ 66.03 करोड़ तथा व्यय ₹ 9.12 करोड़ थे। वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखे प्रक्रियाधीन हैं और उन्हें अभी अंतिम रूप दिया जाना है। 31 मार्च 2024 तक बचत खातों में शेष राशि ₹ 19.95 करोड़ तथा विभिन्न बैंकों में जमा शेष राशि ₹ 501.28 करोड़ थी।

ये निधियां राज्य की समेकित निधि/राज्य के लोक लेखा से बाहर हैं और इसलिए इन निधियों में धन के संग्रहण एवं उपयोग पर कोई विधायी निरीक्षण नहीं है। तेरहवें वित्त आयोग ने भी सार्वजनिक व्यय को बजट से नामित निधियों की ओर मोड़ने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की जो विधायिका के प्राधिकार के बाहर संचालित होते हैं और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं किए जाते हैं।

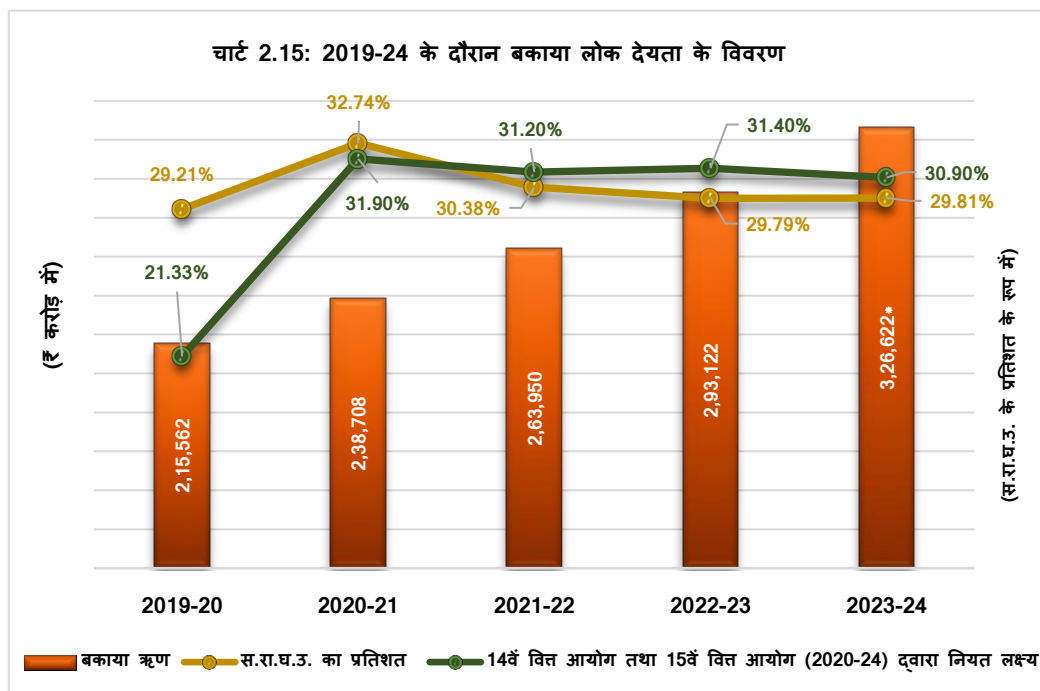
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के मामले में, अधिनियम में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान है और निधि की लेखापरीक्षा की जा रही है। तथापि, हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड और हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं करते हैं।

2.6 लोक देयता प्रबंधन

लोक देयता प्रबंधन, अपेक्षित निधियां जुटाने, इसके जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने, तथा सरकार द्वारा अधिनियम के माध्यम से नियत या किन्हीं अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार की देयता के प्रबंधन हेतु एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की

¹¹ हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड।

प्रक्रिया है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के साथ राज्य की बकाया देयता **चार्ट 2.15** में दी गई है।



* वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

2.6.1 देयता प्रोफाइल: घटक

राज्य सरकार के कुल ऋणों में सामान्यतः राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थाओं से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोक लेखा देयताएं होती हैं। 2023-24 के दौरान राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं को **चार्ट 2.16** में प्रस्तुत किया गया है। 2019-20 से प्रारंभ होकर पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य की घटक-वार देयता प्रवृत्तियों को **तालिका 2.32** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.32: घटक वार देयता प्रवृत्तियां

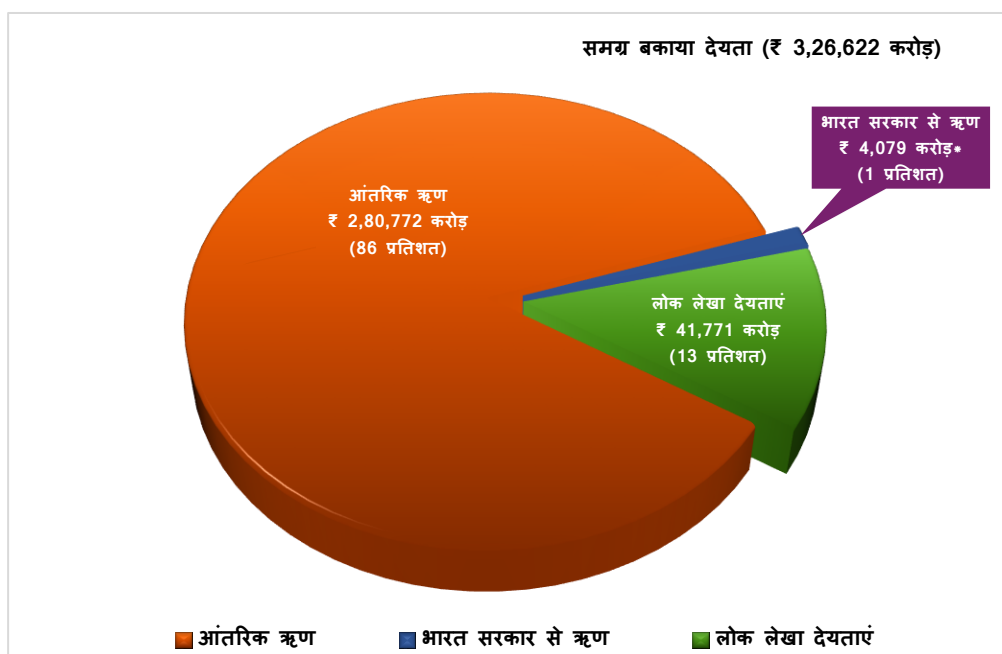
(₹ करोड़ में)

राजकोषीय देयता के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बकाया कुल देयता	2,15,562	2,38,708	2,63,950	2,93,122	3,26,622
लोक ऋण	1,85,491	2,05,458	2,27,697	2,55,325	2,84,851
आंतरिक ऋण	1,83,786	2,03,958	2,26,208	2,52,781	2,80,772
भारत सरकार से ऋण	1,705	1,500*	1,489@	2,544	4,079
लोक लेखा देयताएं	30,071	33,250	36,253	37,797	41,771
लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	16,962	17,997	18,394	18,664	18,762
ब्याज वाली आरक्षित निधियां	4,963	5,477	5,757	6,554	7,906
गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां	224	304	377	469	546
ब्याज वाले जमा	422	452	444	443	486
गैर-ब्याज वाले जमा	7,500	9,020	11,281	11,667	14,071
बकाया समग्र देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.02	10.74	10.57	11.05	11.43
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7,38,052	7,29,079	8,68,905	9,84,055	10,95,535
देयता/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	29.21	32.74	30.38	29.79	29.81
उधार और अन्य देयताएं (वित्त लेखों के विवरण 6 के अनुसार)					
कुल प्राप्तियां	79,530	93,337	91,027	1,38,564	1,52,612
कुल पुनर्भुगतान	48,184	70,191	65,785	1,09,392	1,19,112
उपलब्ध निवल निधियां	31,346	23,146	25,242	29,172	33,500
पुनर्भुगतान/प्राप्तियां (प्रतिशत)	60.59	75.20	72.27	78.95	78.05

* वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

@ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ + वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़) के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

चार्ट 2.16: 31 मार्च 2024 के अंत में समग्र बकाया देयता का विघटन



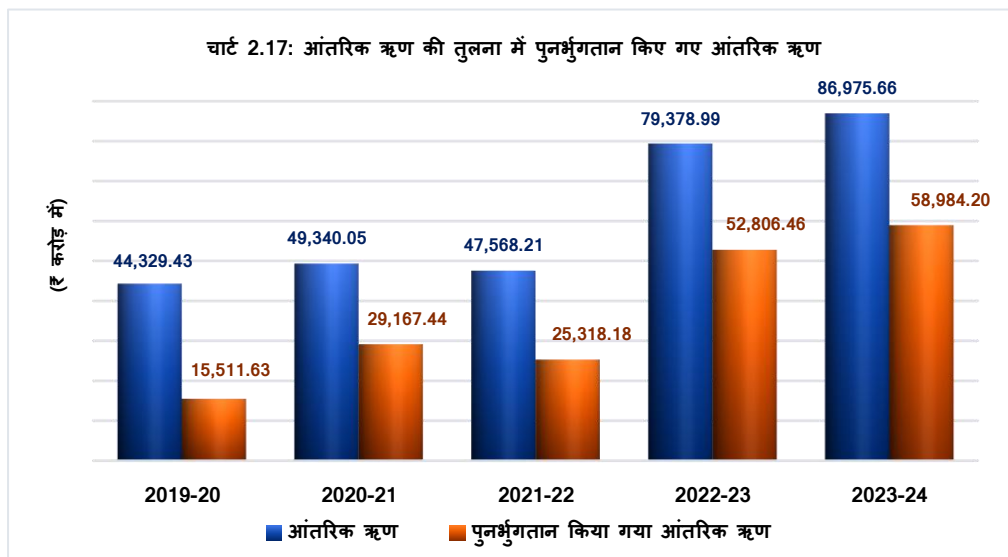
* वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

राज्य की कुल देयताएं 2019-20 में ₹ 2,15,562 करोड़ से 51.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2023-24 में ₹ 3,26,622 करोड़ हो गई, इसके मुख्य कारण लोक ऋणों

(₹ 99,360 करोड़) और लोक लेखा देयताओं (₹ 11,700 करोड़) में वृद्धि थी। गत वर्ष के 11.05 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 में कुल देयताओं में 11.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल देयताओं का अनुपात 2019-20 में 29.21 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 29.81¹² प्रतिशत हो गया। ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 3.22 गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 4.05 गुणा थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 3,26,622 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2023-24 में मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में अनुमानित ₹ 2,85,885 करोड़ की सीमा से अधिक थी।

2019-24 की अवधि के दौरान लोक ऋण में ₹ 99,360 करोड़ (53.57 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि आंतरिक ऋण में ₹ 96,986 करोड़ (52.77 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और भारत सरकार से ऋण में केवल ₹ 2,374 करोड़ (139.24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। उसी अवधि के दौरान लोक लेखा देयताओं में ₹ 11,700 करोड़ (38.91 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान आंतरिक ऋण की तुलना में पुनर्भुगतान किए गए आंतरिक ऋण की प्रवृत्ति को चार्ट 2.17 में दर्शाया गया है। 2023-24 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 19,534.81 करोड़ का ब्याज दिया गया।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य सरकार के आंतरिक ऋणों में एक बड़ा भाग बाजार उधारी का है, जिसमें ब्याज दर 5.60 से 9.07 प्रतिशत के मध्य है। 2023-24 में ₹ 86,976 करोड़ की कुल आंतरिक ऋण प्राप्तियों में से ₹ 47,500 करोड़ का बाजार ऋण था। ₹ 58,984 करोड़ के कुल आंतरिक ऋण पुनर्भुगतान में से, बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान ₹ 13,946 करोड़ था। 31 मार्च 2024 को बकाया बाजार उधारी ₹ 2,52,739 करोड़ थी। वर्ष के दौरान बाजार उधार की निवल वृद्धि 15.31 प्रतिशत (₹ 33,554 करोड़) थी।

¹² वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

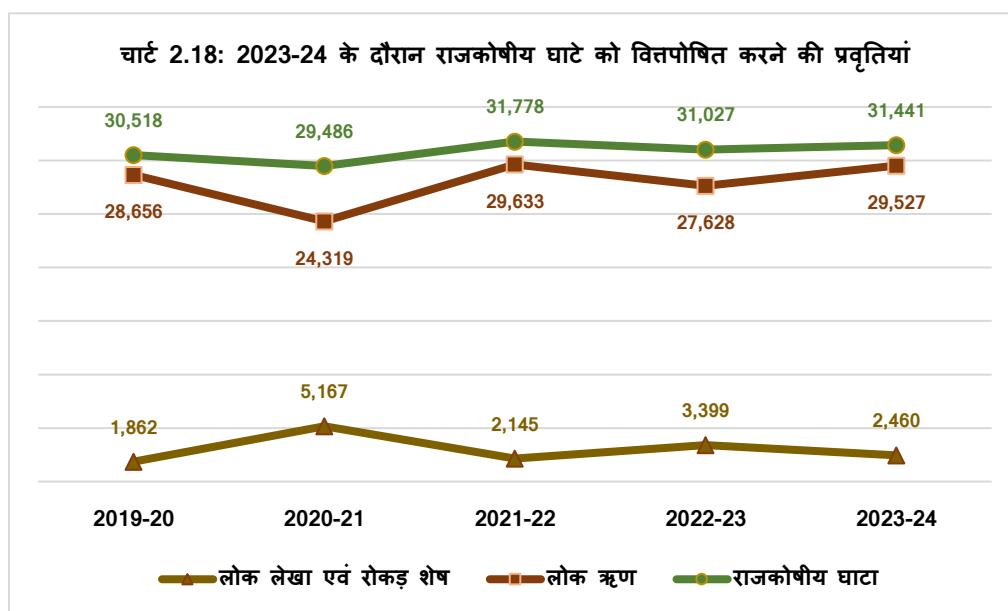
राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में संरचनागत बदलाव चार्ट 2.18 और तालिका 2.33 में दर्शाया गया है। 2023-24 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण तालिका 2.34 में दिए गए हैं।

तालिका 2.33: राजकोषीय घाटे के घटक और इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजकोषीय घाटे की संरचना	(-) 30,519	(-) 29,486	(-) 31,778	(-) 31,027	(-) 31,441
1 राजस्व घाटा	(-) 16,990	(-) 22,385	(-) 20,333	(-) 17,212	(-) 11,881
2 निवल पूंजीगत व्यय	(-) 17,612	(-) 5,807	(-) 10,978	(-) 11,591	(-) 15,806
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	4,083	(-) 494	(-) 466	(-) 2,224	(-) 3,754
4 आकस्मिक निधि का विनियोग	-	(-) 800	-	-	-
राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति					
1 बाजार उधार	20,677	25,550	24,141	33,828	33,554
2 भारत सरकार से ऋण	(-) 162	4,147	7,383	1,055	1,535
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	(-) 1,004	(-) 1,004	(-) 1,000	(-) 1,004	(-) 1,004
4 बॉण्ड	0	0	(-) 3,460	(-) 5,190	(-) 5,190
5 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	9,146	(-) 4,373	2,569	(-) 1,061	632
6 आकस्मिक निधि	-	-	-	-	(-) 546
7 लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,247	1,034	397	269	98
8 आरक्षित निधि	1,925	(-) 671	1,025	1,410	1,980
9 जमा एवं अग्रिम	(-) 483	1,550	2,253	385	2,447
10 उचित एवं विविध	(-) 1,624	1,563	266	184	(-) 445
11 प्रेषण	(-) 54	39	2	38	(-) 15
12 आकस्मिक निधि का विनियोग	0	800	0	0	0
13 समग्र घाटा	29,668	28,635	33,576	29,914	33,046
14 रोकड़ शेष में वृद्धि/कमी	850	851	(-) 1,798	1,113	(-) 1,605
15 सकल राजकोषीय घाटा	30,518	29,486	31,778	31,027	31,441

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



तालिका 2.34: राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1 बाजार उधार	47,500	13,946	33,554
2 भारत सरकार से ऋण	1,745	210	1,535
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	0	1,004	(-) 1,004
4 बॉण्ड	0	5,190	(-) 5,190
5 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	13,482	12,850	632
6 आकस्मिक प्राप्तियां	0	546	(-) 546
7 लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	3,484	3,386	98
8 जमा एवं अग्रिम	57,884	55,437	2,447
9 आरक्षित निधियां	2,523	543.68	1,980
10 उचत और विविध	1,849	2,294	(-) 445
11 प्रेषण	12,361	12,376	(-) 15
12 समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)	1,40,828	1,07,782	33,046
13 रोकड़ शेष में वृद्धि(-)/कमी(+)	3,833	5,438	(-) 1,605
14 सकल राजकोषीय घाटा	1,44,661	1,13,220	31,441

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2019-20 से 2023-24 के दौरान राजकोषीय घाटे को बड़े पैमाने पर लोक ऋण, जिसमें बाजार उधार, भारत सरकार से ऋण आदि शामिल हैं, के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।

2.6.2 ऋण प्रोफाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

लोक ऋण की परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफाइल मूल राशि के ऋण पुनर्भुगतान के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता इंगित करती है जैसा कि **तालिका 2.35** और **चार्ट 2.19** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.35: लोक ऋण परिपक्वता प्रोफाइल (मूलधन राशि)

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	मूलधन राशि	ब्याज राशि ¹³	लोक ऋण (ब्याज सहित)	प्रतिशतता (कुल लोक ऋण के संबंध में)
(₹ करोड़ में)				
0 - 1	24,450.52	21,636.78	46,087.30	10.16
1 - 3	43,033.84	38,520.22	81,554.06	17.98
3 - 5	41,952.67	31,965.49	73,918.16	16.30
5 - 7	40,699.60	25,724.29	66,423.89	14.64
7 - 10	60,294.73	27,186.89	87,481.62	19.28
10 से ऊपर	74,555.85	23,611.57	98,167.42	21.64
कुल ¹⁴	2,84,987.21 ¹⁴	1,68,645.24	4,53,632.45	100.00

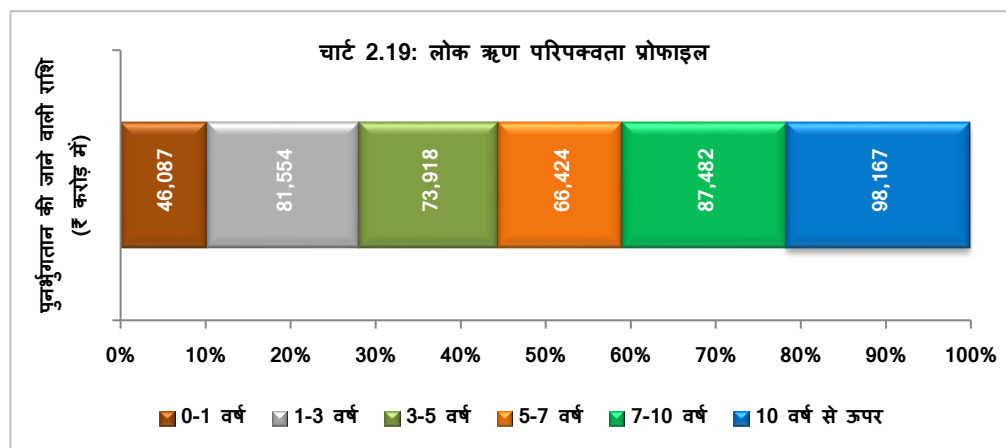
स्रोत: वित्त लेखों के आधार पर गणना की गई।

वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,745.79 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ + वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,393.79 करोड़) के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

¹³ बाजार ऋण पर ब्याज की गणना वित्त लेखों में उपलब्ध परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर की जाती है। बाजार ऋण के अलावा लोक ऋण पर अनुमानित ब्याज की गणना 7.66 प्रतिशत की औसत ब्याज दर (पिछले पांच वर्षों की औसत उधार ब्याज दर जैसा कि तालिका 2.37 में दिया गया है) के आधार पर की जाती है।

¹⁴ लोक ऋण के अंतर्गत परिपक्वता प्रोफाइल और शेष राशि के मध्य ₹ 135.54 करोड़ के अंतर का समाधान किया जा रहा है।

मार्च 2024 तक, कुल बकाया लोक ऋण (अनुमानित ब्याज सहित) ₹ 4,53,632.45 करोड़ था। **तालिका 2.35** इंगित करती है कि राज्य सरकार को अपने लोक ऋण (अनुमानित ब्याज सहित) का 28.14 प्रतिशत (₹ 1,27,641.36 करोड़) अगले तीन वर्षों के भीतर, 16.30 प्रतिशत (₹ 73,918.16 करोड़) तीन से पांच वर्षों के मध्य, 14.64 प्रतिशत (₹ 66,423.89 करोड़) पांच से सात वर्षों के मध्य और 19.28 प्रतिशत (₹ 87,481.62 करोड़) सात से 10 वर्षों के मध्य चुकाना है। इसका अर्थ है कि राज्य को अगले 10 वर्षों में अपने कर्ज का 78.36 प्रतिशत (₹ 3,55,465.03 करोड़) चुकाना है।



31 मार्च 2024 को अगले 10 वर्षों में ब्याज सहित बकाया लोक ऋण की वर्ष-वार पुनर्भुगतान अनुसूची **तालिका 2.36** और **चार्ट 2.20** में दी गई है।

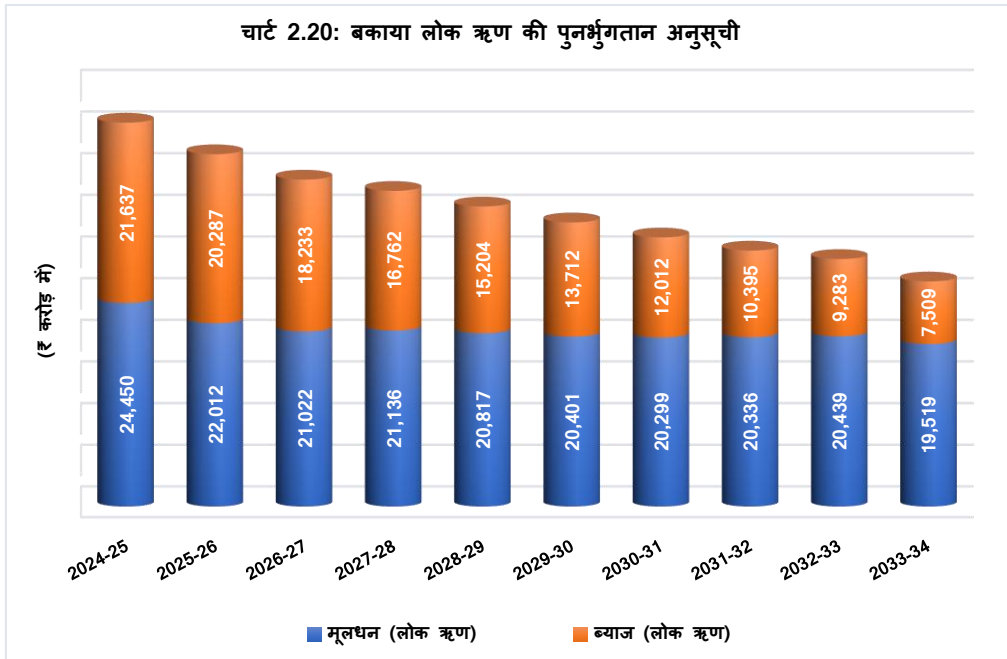
तालिका 2.36: अगले 10 वर्षों के दौरान बकाया लोक ऋण और ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	का पुनर्भुगतान		
	लोक ऋण	लोक ऋण	लोक ऋण
2024-25	24,450.52	21,636.78	46,087.30
2025-26	22,011.86	20,287.03	42,298.89
2026-27	21,021.98	18,233.19	39,255.17
2027-28	21,135.83	16,761.96	37,897.79
2028-29	20,816.84	15,203.53	36,020.37
2029-30	20,401.04	13,712.03	34,113.07
2030-31	20,298.56	12,012.26	32,310.82
2031-32	20,336.16	10,395.21	30,731.37
2032-33	20,439.29	9,282.69	29,721.98
2033-34	19,519.28	7,508.99	27,028.27
कुल	2,10,431.36[§]	1,45,033.67	3,55,465.03

[§] वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,745.79 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ + वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,393.79 करोड़) के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

चार्ट 2.20: बकाया लोक ऋण की पुनर्भुगतान अनुसूची



नोट: वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार के ₹ 11,746 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋणों को छोड़कर लोक ऋण के लिए अगले 10 वर्षों के लिए परिपक्वता प्रोफाइल विकसित की गई है, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है और ब्याज की गणना उस वित्तीय वर्ष तक की गई है जिसमें ऋण समाप्त होने जा रहे हैं।

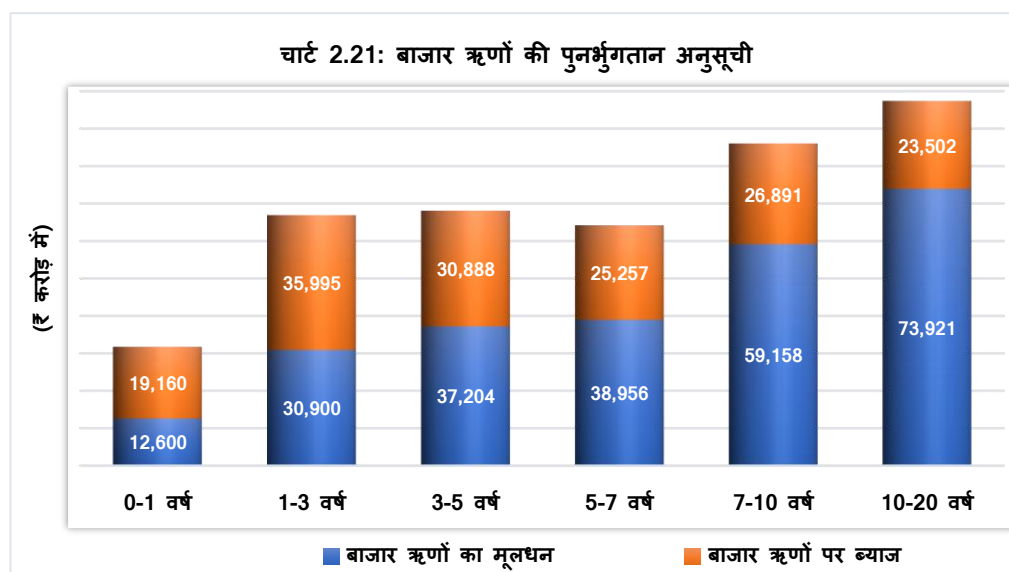
2024-25 से 2033-34 की अवधि के लिए ब्याज सहित ₹ 3,55,465.03 करोड़ के बकाया लोक ऋण में से ब्याज सहित ₹ 46,087.30 करोड़ (12.96 प्रतिशत) 2024-25 में देय है, ब्याज सहित ₹ 1,55,472.22 करोड़ (43.74 प्रतिशत) 2025-26 से 2028-29 की अवधि के दौरान देय है, जबकि शेष 43.30 प्रतिशत (₹ 1,53,905.51 करोड़) पांच वर्ष से अधिक के बाद भुगतान किया जाना है। 2028-29 तक अगले पांच वर्षों के दौरान लोक ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज के रूप में वार्षिक व्यय लगभग ₹ 40,311.90 करोड़ होगा।

2029-30 से 2033-34 की अवधि में ₹ 1,53,905.51 करोड़ (मूलधन: ₹ 1,00,994.33 करोड़ और ब्याज: ₹ 52,911.18 करोड़) का लोक ऋण पुनर्भुगतान देय होगा। इस प्रकार राज्य को वर्ष 2029-30 से 2033-34 की अवधि में लगभग ₹ 30,781.10 करोड़ का वार्षिक पुनर्भुगतान करना होगा।

संसाधन अंतर को कवर करने के लिए ब्याज सहित बकाया लोक ऋण के पुनर्भुगतान के कारण व्यय राज्य की उधारी आवश्यकता में वृद्धि के साथ आगे बढ़ सकता है।

बाजार उधार/ऋण

ब्याज सहित बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची **चार्ट 2.21** में दी गई है।



टिप्पणी: 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋणों के लिए परिपक्वता प्रोफाइल विकसित किया गया है और ब्याज की गणना ऋण पूर्ण होने वाले वित्तीय वर्ष तक की गई है।

राज्य को बाजार ऋणों के लिए अगले तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात् 2026-27 तक ₹ 43,500 करोड़ का पुनर्भुगतान और ₹ 55,155 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना होगा। अगले दो वर्षों, 2028-29 तक 37,204 करोड़ का मूलधन और 30,888 करोड़ का ब्याज देय होगा। अगले पांच वर्षों, 2028-29 तक, ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज के रूप में लगभग ₹ 33,349 करोड़ का वार्षिक भुगतान करना होगा।

वर्ष 2029-30 से 2033-34 की अवधि में ₹ 98,114 करोड़ के ऋण और ₹ 52,148 करोड़ के ब्याज देय होंगे। इस प्रकार राज्य को वर्ष 2029-30 से 2033-34 की अवधि के दौरान लगभग ₹ 30,052 करोड़ का प्रतिवर्ष पुनर्भुगतान करना होगा।

2.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण निष्पादन; डोमर दृष्टिकोण और संबंधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) लक्ष्यों के लिए मैक्रो-राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन, के आधार पर किया गया है। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं।

(क) ऋण स्थिरता राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को चुकाने की क्षमता को संदर्भित करती है। ऋण स्थिरता संकेतकों में भिन्नता का विश्लेषण **तालिका 2.37** और **चार्ट 2.21** में दिया गया है।

तालिका 2.37: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ऋण स्थिरता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	समग्र देयताएं या समग्र ऋण	2,15,562	2,38,708	2,63,951 [#]	2,93,123 [#]	3,26,622 [#]
2	समग्र देयता की वृद्धि की दर	17.02	10.74	10.57	11.05	11.43
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (नाममात्र शर्तों पर)	7,38,052	7,29,079	8,68,905	9,84,055	10,95,535
4	नाममात्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत)	5.60	-1.22	19.18	13.25	11.33
5	समग्र देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	29.21	32.74	30.38	29.79	29.81
6	लोक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल	1,85,606.62	2,05,369.05	2,27,868.33	2,55,496.37	2,84,987.21
6a	0-1 वर्ष	6.54	7.82	10.74	10.04	8.58
6b	1-5 वर्ष	36.92	40.02	36.13	32.33	29.82
6c	5-10 वर्ष	42.89	35.91	32.06	36.97	35.44
6d	10 वर्ष से अधिक	13.65	16.25	21.07	20.66	26.16
7	सकल उधारी का पुनर्भुगतान (प्रतिशत)	60.59	71.85	66.84	78.95	78.05
8	सकल उधार की प्रतिशतता के रूप में उपलब्ध निवल उधार	39.41	28.15	33.16	21.05	21.95
9	समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	15,588.01	17,114.67	18,361.60	20,095.57	21,604.97
10	समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत) ^{&}	8.12	7.83	7.63	7.56	7.34
11	राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	22.97	25.33	23.51	22.53	21.32
12	राजस्व घाटा/अधिशेष	16,990.08	22,385.59	20,333.34	17,211.52	11,880.86
13	प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी) [@]	(-) 1,402.07	(-) 5,270.92	(-) 1,971.74	2,884.05	9,724.11
14	प्राथमिक शेष (पीबी) ⁺⁺	(-) 14,930.61	(-) 12,371.41	(-) 13,416.18	(-) 10,931.31	(-) 9,836.07
15	प्राथमिक शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 2.02	(-) 1.70	(-) 1.54	(-) 1.11	(-) 0.90
16	ब्याज दर [^] और अतिरिक्त देयता पर प्रभावी ब्याज दर के मध्य अंतर	(-) 3.90	(-) 6.63	(-) 6.32	(-) 6.77	(-) 5.88
17	तरलता प्रबंधन (भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन दस्तावेजों का उपयोग)	1,261.75	4,977.33	2,775.83	21,134.24	25,994.12
18	ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम प्रसार ^{\$} + प्राथमिक शेष)	(-) 20,168.12	(-) 33,122.42	15,697.41	4,971.82	2,485.47
19	डोमर मानदंड					
a	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थायी शर्तों पर)	5,45,124	4,96,087	5,44,317	5,87,198	6,34,027
b	वास्तविक वृद्धि (स्थायी शर्तों पर)	2.28	(-) 9.00	9.72	7.88	7.97
c	सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत)	4.26	5.11	6.24	7.50	6.60
d	समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत)	8.12	7.83	7.63	7.56	7.34
e	वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर मुद्रास्फीति)	3.86	2.72	1.39	0.06	0.74
f	वृद्धि ब्याज अंतर (वास्तविक वृद्धि-वास्तविक प्रभावी ब्याज दर)	(-) 1.58	(-) 11.72	8.33	7.82	7.23

* बकाया समग्र ऋण शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण, 6004-केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा देयताओं के अंतर्गत बकाया शेष राशि का योग है।

बकाया समग्र ऋण में वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 11,745.79 करोड़ (₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,393.79 करोड़) शामिल नहीं हैं, जो वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में लिए गए हैं, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

& प्रभावी ब्याज दर: {ब्याज भुगतान/[(पिछले और चालू वित्तीय वर्ष का औसत बकाया ऋण (ब्याज रहित देयताओं को छोड़कर)]

@ प्राथमिक राजस्व शेष: राजस्व प्राप्तियां-राजस्व व्यय (निवल ब्याज भुगतान), जहां (-) प्राथमिक शेष प्राथमिक घाटा दर्शाता है

++ प्राथमिक शेष: कुल प्राप्तियां (उधार के बाद शुद्ध) - कुल व्यय (निवल ब्याज भुगतान), जहां (-) प्राथमिक शेष प्राथमिक घाटा दर्शाता है।

^ ब्याज दर: निवेश पर रिटर्न = प्राप्त ब्याज/[(ऋण और बकाया अग्रिमों का आरंभिक शेष + ऋण और बकाया अग्रिमों का समापन शेष)/2] * 100

\$ क्वांटम प्रसार = (ऋण X प्रसार दर) जहां प्रसार दर = (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर - ब्याज दर)।

- ऋण-सकल राज्य घरेलु उत्पाद अनुपात राज्य की वित्तीय क्षमता अर्थात ऋण चुकाने की उसकी क्षमता को मापता है। ऋण-सकल राज्य घरेलु उत्पाद अनुपात का कम मूल्य यह दर्शाता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था बिना किसी अतिरिक्त ऋण के ऋण चुकाने के लिए जीवंत है। **तालिका 2.37** से पता चलता है कि सकल राज्य घरेलु उत्पाद के सापेक्ष कुल देयता द्वारा मापा गया राज्य का औसत ऋण भार 2019-2024 के दौरान 30 प्रतिशत के करीब रहा। सकल राज्य घरेलु उत्पाद अनुपात में कुल देयता में 2020-21 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई थी, जो उसके बाद भी संधारणीय पथ पर बनी रही। 2021-22 और 2022-23 में सुधार देखने के बाद, राज्य के ऋण भार में 2023-24 में मामूली वृद्धि देखी गई।
- राज्य के ऋण भार पर प्राथमिक घाटे और वृद्धि ब्याज अंतर (जीआईडी) के प्रभाव के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य का ऋण भार मुख्य रूप से 2019-2024 के दौरान प्राथमिक घाटे से प्रेरित था। वृद्धि ब्याज अंतर और प्राथमिक संतुलन, जो ऋणात्मक क्षेत्र में रहे, दोनों ने 2019-20 और 2020-21 में राज्य के ऋण भार में वृद्धि में योगदान दिया। प्राथमिक घाटे में कमी के समर्थन से वृद्धि ब्याज अंतर में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिससे ऋण-सकल राज्य घरेलु उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में 2.36 प्रतिशत अंकों और 2022-23 में 0.59 आधार अंकों की गिरावट आई। अनुकूल वृद्धि ब्याज अंतर और प्राथमिक संतुलन में सुधार के बावजूद, चूंकि ऋण वृद्धि नाममात्र वृद्धि से आगे निकल गई, इसलिए 2023-24 में ऋण-सकल राज्य घरेलु उत्पाद अनुपात में थोड़ी वृद्धि हुई।
- डोमर पैरामीटर बताते हैं कि गिरावट की प्रवृत्ति के बावजूद, 2021-2024 के दौरान वृद्धि ब्याज अंतर अनुकूल रहा। यह दर्शाता है कि 2019-20 और 2020-21 में उधार लेने की लागत को कवर करने के लिए विकास प्रक्षेप पथ पर्याप्त नहीं था। नाममात्र वृद्धि के समान, प्रभावी ब्याज दर भी काफी हद तक मुद्रास्फीति से प्रेरित थी, जिसने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित महामारी के बाद की अवधि (2021-2024) में ऊपरी सहनशीलता बैंडविड्थ (2-6 प्रतिशत) को पार कर लिया, यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति ने राज्य को वास्तविक ब्याज दर को कम रखने में मदद की ताकि वास्तविक रूप से वृद्धि ब्याज अंतर को अनुकूल रखा जा सके।
- राज्य का ऋण भार, 2019-20 और 2020-21 को छोड़कर, वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सांकेतिक ऋण पथ के भीतर रहा, लेकिन राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ रहा था। 2021-22 तक उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखने के बाद, समग्र देयता-सकल राज्य घरेलु उत्पाद अनुपात द्वारा मापा गया राज्य का ऋण-भार 2022-23 और 2023-24 में स्थिर रहा, लेकिन महामारी से पहले के स्तर पर नहीं पहुंच सका था। हालांकि, 2021-22 से ऋण से सकल राज्य घरेलु उत्पाद अनुपात में लगातार गिरावट यह संकेत देती है कि यह स्थिर होने की ओर अग्रसर है, बशर्ते कि यह प्रवृत्ति आगामी मध्यम अवधि में जारी रहे।

- धनात्मक प्राथमिक राजस्व संतुलन और प्राथमिक संतुलन यह दर्शाता है कि ऋण संधारणीय पथ पर है। प्राथमिक राजस्व संतुलन जो 2019-20 में ऋणात्मक था {(-) ₹ 1,402 करोड़} 2022-23 में धनात्मक हो गया (₹ 2,884 करोड़) और 2023-24 में इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ (₹ 9,724 करोड़)। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान प्राथमिक संतुलन ऋणात्मक रहा। तथापि, यह समग्र रूप से ऋणात्मक है जो दर्शाता है कि ऋण संधारणीय पथ पर नहीं है।
- ब्याज भुगतान अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति टिकाऊ ऋण का संकेत है, जबकि बढ़ती प्रवृत्ति अस्थिर ऋण प्रक्षेप पथ का संकेत देती है। राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान जो 2019-20 में 22.97 प्रतिशत था, 2020-21 में बढ़कर 25.33 प्रतिशत हो गया। 2020-21 (25.33 प्रतिशत) की तुलना में 2021-22 और 2023-24 (21.32 प्रतिशत) के दौरान स्थिति में सुधार (23.51 प्रतिशत) हुआ, जो टिकाऊ ऋण और अन्य उत्पादक उद्देश्यों के लिए अधिक संसाधनों के बचे रहने का संकेत देती है।
- परिपक्वता प्रोफाइल राज्य के ऋण पर मोचन दबाव को दर्शाती है; उच्च परिपक्वता का अर्थ है भविष्य में कम मोचन दबाव। मार्च 2024 तक, लोक ऋण के लिए ₹ 2,84,987.21 करोड़ की राशि चुकाने योग्य थी। तदनुसार, राज्य सरकार को अगले पांच वर्षों के भीतर 38.40 प्रतिशत और 5-10 वर्षों के बीच 35.44 प्रतिशत चुकाना है। इस प्रकार, राज्य को अगले दस वर्षों में अपने बकाया लोक ऋण का 73.84 प्रतिशत चुकाना है, जिससे भविष्य में अधिक मोचन दबाव दिखाई देता है।
- कई बार राज्य ने अल्पावधि वित्तपोषण अंतराल को प्रबंधित करने के लिए अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट सुविधा का सहारा लिया, जो उनकी तरलता की स्थिति को दर्शाता है। राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान 11 दिनों के लिए ₹ 1,261.75 करोड़ की अर्थोपाय अग्रिम राशि का लाभ उठाया। बाद के वर्षों में अवसरों की संख्या के साथ राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई अर्थात् 2020-21 में 42 दिनों के लिए ₹ 4,977.33 करोड़ और 2023-24 में 163 दिनों के लिए ₹ 25,994.12 करोड़। अर्थोपाय अग्रिम सुविधा में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, जो खराब तरलता प्रबंधन को इंगित करती है, जो खराब राजकोषीय प्रबंधन को दर्शाती है और अल्पकालिक स्थिरता में बाधा डालती है।
- यद्यपि ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड जमा प्राथमिक शेष) की स्थिति 2019-20 और 2020-21 में ऋणात्मक थी, 2021-22 में स्थिति में सुधार हुआ और 2022-24 के दौरान यह धनात्मक रही, जो ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में कमी का संकेत है जो कि एक सकारात्मक संकेत है।

(ख) मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में प्राप्ति का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

राजकोषीय मापदंड		मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्राप्ति				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व घाटा (-)/सरप्लस (+) (स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)	लक्ष्य	(-) 1.53	(-) 1.64	(-) 3.29	(-) 0.98	(-) 1.51
	प्राप्ति	(-) 2.30	(-) 3.07	(-) 2.34	(-) 1.75	(-) 1.08
राजकोषीय घाटा (-)/सरप्लस (+) (स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)	लक्ष्य	(-) 2.86	(-) 4.00	(-) 3.83	(-) 2.98	(-) 2.96
	प्राप्ति	(-) 4.13	(-) 4.04	(-) 3.66	(-) 3.15	(-) 2.87
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया देयता का अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	22.86	21.14	25.92	24.52	25.45
	प्राप्ति	29.21	32.74	30.38	29.79	29.81
पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के संदर्भ में गारंटी	लक्ष्य	राज्य सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है				
	प्राप्ति	30.56	34.12	31.17	25.85	23.90

* वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार के ₹ 11,745.79 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ + वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,393.79 करोड़) के बैंक-टू-बैंक ऋणों को छोड़कर, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में निर्धारित बकाया देयता-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात का लक्ष्य अप्राप्त रहा। सरकार 2021-22 को छोड़कर 2019-20 से 2023-24 के दौरान मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में निर्धारित राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लक्ष्यों को भी पूरा करने में असमर्थ रही। मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में निर्धारित राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लक्ष्य 2022-23 में प्राप्त नहीं किया जा सका। राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी के लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है, तथापि 2019-24 की अवधि के दौरान गारंटी-राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 23.90 और 34.12 प्रतिशत के मध्य था। ये प्रवृत्तियां सरकार को राजकोषीय असंतुलन को दूर करने और स्थायी वित्तीय प्रबंधन की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी सृजन और विकासात्मक गतिविधियों को निधि देने के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधियों का उपयोग करना टिकाऊ नहीं है। 2019-24 की अवधि के दौरान पूर्ववर्ती उधारों के पुनर्भुगतान, पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय के लिए उधार ली गई निधियों के उपयोग का विवरण *तालिका 2.39* में दिया गया है।

तालिका 2.39: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल उधार	44,431.82	49,464.73 ¹⁵	47,711.81 ¹⁶	80,649.29	88,720.82
पूर्ववर्ती उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (प्रतिशतता)	15,775.51 (36)	29,497.60 (60)	25,472.95 (53)	53,021.27 (66)	59,194.20 (67)
निवल पूंजीगत व्यय (प्रतिशतता)*	12,421.92 (28)	5,806.74 (11)	10,978.41 (23)	11,591.04 (14)	15,806.11 (18)
निवल ऋण एवं अग्रिम*	1,106.62 (2)	493.75 (1)	466.02 (1)	2,224.32 (3)	3,754.07 (4)
उपलब्ध निवल उधार से किए गए राजस्व व्यय का भाग	15,127.77 (34)	13,666.64 (28)	10,794.43 (23)	13,813 (17)	9,966.44 (11)
राज्य का कुल बजट	1,56,449.71	1,80,004.84	1,95,689.44	2,21,110.07	2,36,560.09
कुल बजट के विरुद्ध व्यय	1,29,856.27	1,42,409.10	1,50,162.15	1,85,288.25	2,03,089.28
कुल व्यय पर उधार का पुनर्भुगतान (प्रतिशत)	12.15	20.71	16.96	28.62	29.15

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

कोष्ठक में कुल उधारों की राशि से प्रतिशतता इंगित की गई है।

* निवल का अर्थ है व्यय/भुगतान घटा प्राप्तियां।

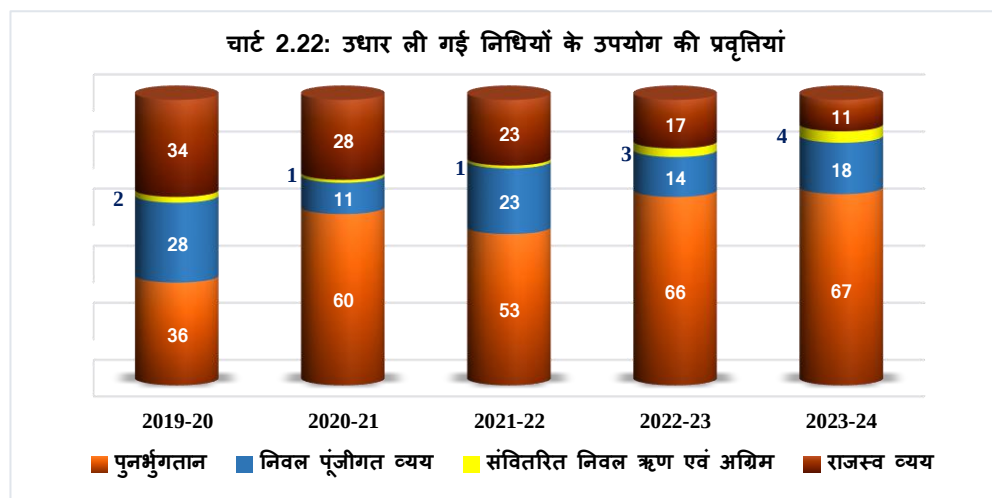
2019-24 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय में उधार का पुनर्भुगतान (मूलधन) 12.15 से 29.15 प्रतिशत के मध्य रहा। इस अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने अपनी वर्तमान उधारी का 36 प्रतिशत से 67 प्रतिशत के मध्य उपयोग पिछली उधारी (मूलधन) के पुनर्भुगतान के लिए किया। निवल उपलब्ध उधारों से पूरा किया गया राजस्व व्यय 11 प्रतिशत से 34 प्रतिशत के मध्य रहा। वर्ष 2023-24 के दौरान, मौजूदा उधार का केवल 18 प्रतिशत हिस्सा निवल पूंजीगत व्यय पर उपयोग किया गया था। इस प्रकार, उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजीगत निर्माण के बजाय मुख्य रूप से वर्तमान खपत को पूरा करने और पहले के उधारों के पुनर्भुगतान के लिए किया जा रहा था।

पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्यों को राजस्व घाटे को कम करने और अंततः समाप्त करने तथा सभी उधारों को पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए राजस्व घाटा अनुदान दिया जा रहा है। 2023-24 में, जो कि वित्त आयोग की अवधि का तीसरा वर्ष है, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से कोई राजस्व घाटा अनुदान नहीं मिला है, तथापि राज्य सरकार ने अपने राजस्व घाटे को घटाकर ₹ 5,331 करोड़ (2022-23 में ₹ 17,212 करोड़ से 2023-24 में ₹ 11,881 करोड़) कर लिया है, लेकिन अपने राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए उधार लिया है।

¹⁵ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

¹⁶ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 7,394 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

2019-24 की अवधि के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति को **चार्ट 2.22** में दर्शाया गया है।

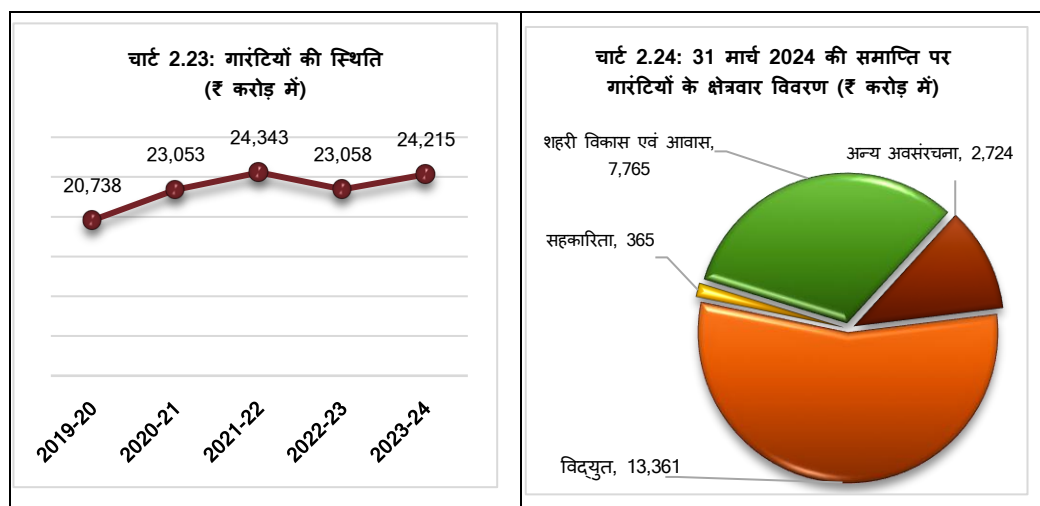


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.7.2 गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां, ऋण लेने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण वापस न करने की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 की अनुपालना में राज्य की समेकित निधि की जमानत पर दी जाने वाली गारंटियों की एक सीमा, जहां तक गारंटी दी जा सकती है, निर्धारित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया है।

वित्त लेखाओं की विवरणी संख्या 9 के अनुसार पिछले पांच वर्षों की गारंटियों की स्थिति और 31 मार्च 2024 तक क्षेत्रवार गारंटियों की स्थिति **चार्ट 2.23** और **2.24** में दी गई है।



स्रोत: वित्त लेखे

2023-24 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के विरुद्ध किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया। 31 मार्च 2024 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के संबंध में गारंटियों का विवरण **तालिका 2.40** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.40: संस्थाओं को दी गई गारंटियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों का नाम	गारंटी की संख्या	31 मार्च 2024 को गारंटी की राशि
1	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.)	11	7,313.36
2	हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम	8	2,575.47
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	27	7,231.56
4	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	5	717.07
5	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2	201.60
6	हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा	7	250.60
7	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	17	5,398.50
8	हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	3	93.35
9	नगर निगम, फरीदाबाद	1	40.60
10	हरियाणा राज्य भंडारण निगम	3	2.52
11	हरियाणा पावर जनरेशन लिमिटेड, पंचकुला	1	13.56
12	पानीपत सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, पानीपत	1	64.29
13	शाहबाद सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, शाहबाद	1	39.15
14	करनाल सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, करनाल	1	54.64
15	हैफेड-नाबार्ड	3	195.97
16	हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड	1	10.69
17	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	2	11.88
	कुल	94	24,214.81

स्रोत: वर्ष 2023-24 के वित्त लेखे

31 मार्च 2024 तक कुल गारंटी में से 95.96 प्रतिशत (₹ 23,235.96 करोड़) मुख्य रूप से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (₹ 7,313.36 करोड़), हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (₹ 2,575.47 करोड़), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 7,231.56 करोड़), हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 717.07 करोड़) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 5,398.50 करोड़) के संबंध में थी।

2.7.3 रोकड़ शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ करार के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के पास न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन शेष करार न्यूनतम से कम हो जाता है, तो समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम (सा.अ.अ.) एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम (वि.अ.अ.)/ओवरड्राफ्ट (ओ.डी.) लेकर कमी को पूरा किया जाता है।

वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश के तुलनात्मक आंकड़े तालिका 2.41 में दिए गए हैं।

तालिका 2.41: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2023 को अंतिम शेष	31 मार्च 2024 को अंतिम शेष
क. सामान्य रोकड़ शेष		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि	(-) 716.63	373.36
ट्रांजिट लोकल में प्रेषण	0.54	0.54
कुल	(-) 716.09	373.90
रोकड़ शेष निवेश लेखे में किया गया निवेश	1,310.12	1,272.60
कुल (क)	594.03	1,646.50
ख. अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों जैसे कि लोक निर्माण, वन अधिकारियों के पास रोकड़	3.91	4.03
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम	0.11	0.11
चिह्नित निधियों में निवेश	3,235.50	3,787.38
कुल (ख)	3,239.52	3,791.52
कुल (क + ख)	3,833.55	5,438.02
वसूल किया गया ब्याज	4.36	6.19

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका 2.42: रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

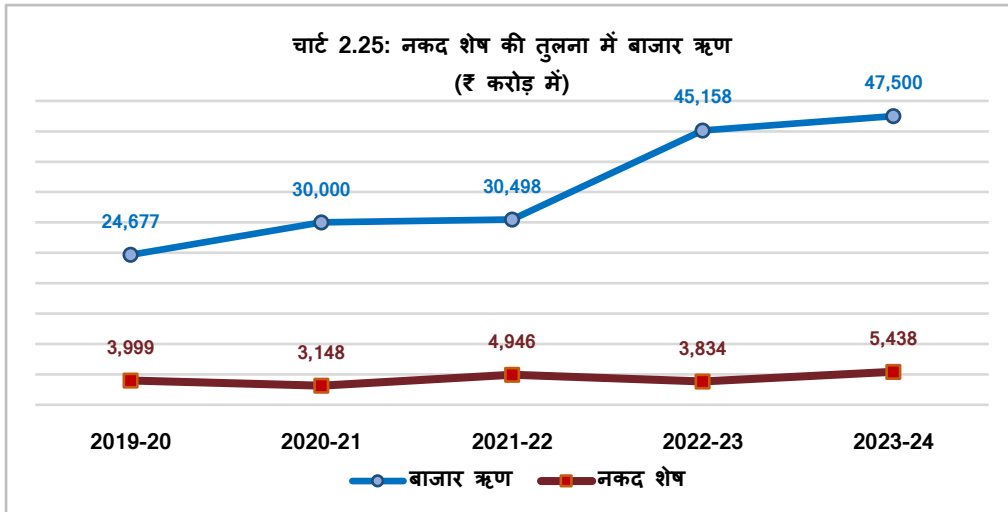
(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/कमी (-)	अर्जित ब्याज
2017-18	2,554.85	2,084.53	(-) 470.32	94.89
2018-19	2,084.53	721.57	(-) 1,362.96	91.54
2019-20	721.57	2,332.87	1,611.30	76.54
2020-21	2,332.87	1,564.72	(-) 768.15	29.49
2021-22	1,564.72	2,597.52	1,032.80	25.45
2022-23	2,597.52	1,310.12	(-) 1,287.40	4.36
2023-24	1,310.12	1,272.60	(-) 37.52	6.19

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

रोकड़ शेष में चिह्नित निधियों से ₹ 3,787.38 करोड़ का निवेश था। उक्त निवेश, जिसमें ऋण शोधन निधि निवेश खाता (₹ 2,122.28 करोड़) तथा गारंटी मोचन निधि निवेश खाता (₹ 1,662.80 करोड़) शामिल हैं, को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था। वर्ष 2023-24 में सरकार 203 दिन के लिए ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने में समर्थ थी। सरकार द्वारा न्यूनतम रोकड़ को बनाए रखने के लिए 113 दिनों के लिए विशेष अर्थोपाय अग्रिम (वि.अ.अ.) और 50 दिन के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम (सा.अ.अ.) लिया गया था। वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार को अर्थोपाय अग्रिम पर ₹ 9.03 करोड़ ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के पास ₹ 3,834 करोड़ का प्रारंभिक रोकड़ शेष था और सरकार ने अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बाजार से ₹ 47,500 करोड़ उधार लिया था। अंतिम रोकड़ शेष ₹ 5,438 करोड़ था (चार्ट 2.25)।



2.8 निष्कर्ष

राजस्व घाटे का प्रगामी उन्मूलन द्वारा विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 पारित (मार्च 2022 में संशोधित) किया था। राज्य राजस्व घाटे वाला राज्य बना रहा।

राज्य का राजस्व घाटा 2022-23 के दौरान ₹ 17,212 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹ 11,881 करोड़ हो गया, लेकिन यह ₹ 16,949 करोड़ के बजट अनुमानों से कम था।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹ 31,441 करोड़ था जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.87 प्रतिशत था तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति और बजट अनुमान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक था। राजकोषीय घाटे को मुख्यतः बाजार उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।

चालू वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 12,121 करोड़ (13.58 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में ₹ 6,790 करोड़ (6.38 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, राज्य के स्व-राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 12.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

राज्य ने केवल 44 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र के लिए छोड़ते हुए कुल राजस्व व्यय का 56 प्रतिशत वेतन एवं मजदूरी, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसी प्रतिबद्ध देयताओं पर खर्च किया। वर्ष के दौरान, ब्याज भुगतान के कारण व्यय, राजस्व व्यय के 19 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों के 21 प्रतिशत के बराबर था।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2024 तक सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों में अपने कुल निवेश (₹ 38,278 करोड़) पर केवल 0.76 प्रतिशत रिटर्न अर्जित किया।

राज्य लेखों के अनुसार तथा 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों के अनुसार इक्विटी निवेश के आंकड़ों में ₹ 7,262 करोड़ का अंतर था।

सहकारी चीनी मिलों और हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को पूर्ववर्ती ऋणों की वसूली किए बिना ₹ 248 करोड़ का ऋण दिया गया था। राज्य सरकार ने 2023-24 के दौरान बकाया ऋणों पर ब्याज के रूप में ₹ 182 करोड़ (1.46 प्रतिशत) प्राप्त किए और बकाया ऋण पर 6.72 प्रतिशत की दर पर ब्याज का भुगतान किया।

राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 7,297.06 करोड़ की निधियों का निवेश नहीं किया।

लोक ऋण और लोक लेखा देयताओं सहित कुल बकाया देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.81 प्रतिशत थी (वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है)। गत वर्ष की तुलना में 2023-24 में कुल देयताओं में 11.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य सरकार ने ₹ 88,721 करोड़ का लोक ऋण लिया और ₹ 59,194 करोड़ का ऋण चुकाया।

2.9 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

1. सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों से निवेश पर अपर्याप्त रिटर्न के कारणों का आकलन करना और उपचारात्मक उपाय करना; और
2. ऋण प्रदान करने से पहले संस्थाओं की ऋण सेवा क्षमता का आकलन करें।